THE WAKF (AMENDMENT) BILL, 1984

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will now take up the Wakf (Amendment) Bill, 1984. We have already discussed the Bill. So I hope the hon. Members will be very brief in their observations.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGANNATH KAUSHAL): Sir, it may be recalled that on 23rd July 1984, during the third reading of the Wakf (Amendment) Bill, 1984, in this honourable House I had stated that during the consideration of the Bill by the Lok Sabha such of the amendments with regard to which there is a consensus among the Muslim Members of Parliament and are acceptable to the Government may be commended by me to the Lok Sabha for its acceptance. It appears that some Muslim Members of Parliament had arrived at a consensus with regard to certain amendments which were urgently required to be made in the Bill. Those amendments being acceptable to the Government were commended by me to the Lok Sabha for acceptance and that House as accepted them. The amendments which were thus accepted were:

1. Elaboration of the connotation of the expression "person interested in Wakf" so as to cover a non-Muslim having an interest in a wakf property to whom a notice as well as a reasonable opportunity of presenting his case have been given under section 4 of the Wakf Act, 1954."

2. 'Extension up to 30 years of the period of limitation for the institution of suits for the recovery of Wakf properties which are in adverse position."

3. "Incorporation of a provision with retrospective effect empowering the Wakf Boards which have taken over the management of any evacuee wakf property to function as a trustee of such property under section 11 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950."

This amendment became necessary by reason of a recent judgement of the Punjab and Haryana High Court in which it was held that the Wakf Board, not being a trustee appointed under section 11 of the said Act, is not competent to institute such suits.

In view of the nature of the amendments which have been adopted by the Lok Sabha, I hope the amendments would be agreed to by the honourable House.

Sir, I beg to move:

"That the following amendments made by the Lok Sabha in the Wakf (Amendment) Bill, 1984, be taken into consideration, namely:—

Clause 6

1. "That at page 4, after line 1, the following be inserted, namely.—

'(a) in sub-section (1), the following Explanation shall be inserted at the end, namely:—

"*Explanation*.—For the purpose of this section and section 6A, the expression "any person interested therein", occurring in sub-section (1) of this section and in sub-section (1) of section 6A, shall in relation to any property specified as wakf property in a list of wakf published, under sub-section (2) of section 5, after the commencement of the Wakf (Amendment) Act, 1984, shall include also every person who, though not interested in the wakf concerned, is interested in such property and to whom a reasonable opportunity had been afforded to represent his case by notice served on him in that behalf during the course of the relevant inquiry under section 4."

2. "That at page 4, line 2,—for '(a)' substitute '(b)'

3. "That at page 4, line 4,— for '(b)' substitute '(c)'

Clause 65

4. "That at page 49, after line 37, the following be inserted, namely:—

Period of limitation for recovery of wakf properties to be thirty years.

66G. Notwithstanding anything contained in the Limitation Act, 1963 (36 of 1963) the period of limitation for any suit for possession of immovable property comprised in any wakf or possession of any interest in such property shall be a period of thirty years and such period shall begin to run when the possession of the defendant becomes adverse to the plintifi.

Special provision as to evacuee wakf properties.

66H. The provisions of this Act shall apply, and shall be deemed always to have applied, in relation to any evacuee property within the meaning of clause (f) of section 2 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 which immediately before it became such evacuee property within the said meaning was property comprised in any wakf and, in particular, any entrustment (whether by transfer of any documents or in any other manner and whether generally or for specified purposes) of any such property to a Board made before the commencement of the wakf (Amendment Act, 1984 in pursuance of the instructions of the Custodian under the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) shall have, and shall be deemed always to have had, notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, effect as if such entrustment had operated to;

(a) vest such property in such Board in the same manner and with the same effect as in a trustee of such property for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) with effect from the date of such entrustment, and

(b) authorise such Board to assume direct management of the wakf concerned for so long as it might deem necessary."

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are many Members who want to speak. I would request them not to take more than five minutes each because the whole matter has been discussed already.

SHRI R. RAMAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, one minute, not even five minutes.

Mr. Deputy Chairman, Sir, I have to say a few things in general. Even in the Constitution (Fifty-second Amendment) Bill which was brought to Parliament, the Government removed clause (c). If the hon. Minister, Mr. Jagannath Kaushal may remember, it was relating to the para-military forces. In respect of such Bills which are very important it is done, and I think this Bill itself was sent to an expert committee of Muslims and others, and all aspects were taken into consideration when this Bill was introduced in Rajya Sabha. Of course, as an afterthought, some amendments have been suggested by those concerned with the Bill and have been commended by the Minister, and it is quite acceptable.

Sir, even this morning Mr. Shahabuddin who was a Member of this House and is a leading Muslim functionary, has given a statement that this Wakf Bill is having an eye on the elections. I do not agree with him, Sir, because the whole political process, everything, is there with an eye on the elections. This is a comprehensive piece of amendment which has been brought. I support and welcome this Bill.

But about nomination of the Wakf Boards, something has got to be done. Even in Tamil Nadu, our Chief Minister, MGR, completely revamped the Wakf Board, and it is working quite properly.

[Shri R. Ramakrishnan]

Mr. Sulaiman Sait of the Muslim League, who is well versed with this matter, has made certain suggestions which have not been acceptable to the Minister. More representation should be given to other category of persons than what has been stated in clause 11 of this Bill. This may be considered by the Minister so that it will have relevance and all persons of the Muslim community can participate in this whole thing. I welcome and support the amendment, Sir.

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला (महाराष्ट्र) : आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं माननीय कानून मंत्री जी और हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की भी शुक्रगुजार हूं कि वह न सिर्फ वक्फ बिल जल्दी लाये बल्कि लोकसभा के अंदर जो एम पीज हैं और यहां के जो एम पीज हैं उनकी राय लेकर, इसमें अमेंडमेंट जो उन्होंने पेश किये, उनको इसमें इन कारपोरेट कर दिया और आज दुबारा इस बिल को हाउस में लाये इसलिये मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और उन्हें मुबारकबाद देती हूं।

एक दो लफ्ज अमेंडमेंट के बारे में बोलना चाहती हूं। जो अमेंडमेंट आपने इसमें रखा कि वक्फ कमिशनर को आई ए एस आफिसर बनाया जायेगा, मेरी यह दर्खास्त है कि इस पर सख्ती से पाबन्द रहें ताकि जो समझदार आफिसर होगा वह तरीके के साथ वक्फ का काम चला सकेगा। दूसरे जो वक्फ कमीशन में चेयरमैन बनाने की तजवीज को तसलीम नहीं किया गया इसके लिये मैं आपको मुबारकबाद देती हूं और इसका खैरमकदम करती हूं। क्योंकि इस कमेटी के अंदर पार्लियामेंट और असेम्बली के मैम्बर होंगे उन्हीं से चुनकर जो चेयरमैन होगा वही ठीक रहेगा। तीसरे जो आपने लिमिटेशन 12 साल से 30 साल की है उसका भी मैं खैरमकदम करती हूं। अगर बजाय 30 साल के डेट मुकर्रर होती, 1947 की डेट मुकर्रर होती तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होता। तमाम प्रोपर्टी जो है, हिन्दुस्तान के बटवारे के बाद ही बहुत बड़ी प्रोपर्टी वक्फ की पंजाब और हरियाणा की जो है उसके झगड़े पड़े हुए हैं। 12 से 30 साल की है इसके लिये भी मैं आपकी शुक्रगुजार हूं।

चौथे जो क्लाज 6 में अमेंडमेंट है उसका भी मैं खैरमकदम करती हूं क्योंकि इसकी वजह से वक्फ प्रोपर्टी जो नजायज बन गई है बेईमान लोग किसी तरीके से हड़प सकते हैं और वह गैर मुस्लिम के नाम करके, प्रोपर्टी को दबा सकते थे। उसके लिये जो आपने रोकथाम की है उसके लिये मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। अगली बात मैं यह कहना चाहती हूं कि वक्फ इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि वक्फ कौंसिल को भंग कर दिया जाए उसको आपने नहीं माना, यह भी आपने सही काम किया। क्योंकि यह जो सेन्ट्रल वक्फ कौंसिल है, मरकजी वक्फ कौंसिल है, यह बहुत अच्छा काम कर रही है। जो कस्टोडियन की प्रोपर्टी है उसके बारे में जैसा कि मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि अदालत ने फैसला दिया था कि उसमें वक्फ बोर्ड का कोई हक नहीं है। इस बिल के लिए हम मिनिस्टर साहब के शुक्रगुजार हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि जो वक्फ की प्रापर्टी है उसको रेन्ट कंट्रोल से अलग कर देना चाहिए क्योंकि यह लाखों और करोड़ों रुपयों की जायदाद है, लेकिन सौ या दो सौ रुपये में दी गई है। अगर इसको रेन्ट कंट्रोल से अलग रखा जाएगा तो यह एक बहुत अच्छा काम होगा। इसके अलावा में यह भी कहना

चाहती हूं कि वजीरे आजम ने एक चिट्ठी लिखी थी और वह चिट्ठी सभी स्टेट्स को भेजी गई थी कि वक्फ की जो प्रोपर्टी है उसके बारे में क्या किया जा रहा है ।

श्री उपसभापति : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री सैयद अहमद हाशमी : (उत्तर प्रदेश) : जनाब, यह बहुत सेंसिटिव मामला है । इसके लिए दो तीन मिनट बहुत कम हैं ।

श्री उपसभापति : इस बिल पर पूरी बहस हो चुकी है ।

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : मैं हाशमी साहब से कहना चाहती हूं कि अगर सरकार की मंशा नहीं होती तो कोई जरूरी नहीं था कि लोक सभा में पास करने के बाद इतनी जल्दी इसको यहां पर लाती । मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसके बारे में कई सरकारों ने जवाब नहीं दिया है । उनसे अगर इस बारे में जवाब जल्दी मंगा लिया जाय तो अच्छा रहेगा । इससे वक्फ को फायदा होगा । यह लाखों करोड़ों रुपयों की प्रापर्टी है । इससे सारी कौम को फायदा होगा । जो लोग वक्फ के इंचार्ज हैं वे अगर इस करोड़ों रुपयों की प्रापर्टी को बच्चों और नवजवानों की तालीम पर खर्च करें तो इससे कौम के बच्चे पढ़-लिखकर देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं ।

श्री सैयद अहमद हाशमी : मि० डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को, अपने बुजुर्ग दोस्त मि० जगन्नाथ कौशल जी को मायूस नहीं करुंगा, मैं जरूर उनकी तारीफ करुंगा कि उनका जाती इंटेशन रहा है कि यह बिल जल्दी आए । वे हमारे दोस्त रहे हैं । लेकिन वे मुझे नहीं पहचानते हैं, लेकिन मैं उन्हे पहचानता हूं । इस तरीके से हमारी ढकी-छिपी दोस्ती रही है । मैं चाहता हूं कि मैं इस बात का इजहार कर दूं कि मैं उन्हे यकीनन मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनका इंटेशन अच्छा रहा है । लेकिन इस बिल के बारे में मैं कुछ बाते जरूर कहना चाहता हूं । जहां मैं उनको परसनली मुबारकबाद दे रहा हूं वहीं मैं गालिब का एक शेर अर्ज कर देना चाहता हूं । मुझे पता नहीं है कि हमारे मिनिस्टर साहब को उर्दू अदब में कुछ दिलचस्पी है या नहीं ।

कोई मेरे दिल से पूछे कि तेरे तीरे नीमे कश को,
यह खलिस कहां से होती जो जिगर के पार होती ।

अगर यह कहा जाय कि यह बिल पूरे वक्फ को डिपार्टमेंटल या हुकूमत का महकमा बना लेता तो शायद इस पर इतना एतराज नहीं होता । डिपार्टमेंट की तरह से वक्फ का सिलसिला काम करेगा । लेकिन ये ऐसे सफी हैं कि एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ से खींच लेते हैं । आप गौर करें, मैं सिर्फ एक रेफरेन्स देना चाहूंगा कि प्रिंसिपल वक्फ एक्ट् सन 1954 का है उसके सेक्शन 15 में वक्फ बोर्ड के अख्तियारात का बयान किया गया है । सेक्शन 15 में वक्फ बोर्ड को अख्तियारात देने के बावजूद इस एमेन्डिंग बिल के अन्दर सेक्शन 21(डी) को मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से ला मिनिस्टर आंखों से ओझल कर गये हैं । यह जानबूझकर ऐसा किया गया है, दोनों में कन्ट्राडिक्शन है । अगर 21(डी)

[श्री सैयद अहमद हासमी]

है तो सेक्शन 15 बिल्कुल बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं है । इसलिए मैं चाहता हूं कि सेक्शन 15 जो है वह मैं आपके सामने पेश कर दूं :

"Subject to any rules that may be made under this Act, the general superintendence of all wakfs in a State shall vest in the Board established for the State and it shall be the duty of the Board so to exercise the powers under this Act as to ensure that the wakfs under its superintendence are properly maintained, controlled and administered and the income thereof is duly applied to the objects and for the purposes for which such wakfs were created."

इसके बाद ये पूरी दफात दी गई हैं, जिन्हें कि मैं छोड़ रहा हूं । अगर इसको देख लीजिये तो इसके मुकाबले 21(डी) है । जिसके अन्दर, इस ऐक्ट के अन्दर मेम्बर सेक्रेटरी जिसे वक्फ कमिश्नर कहा गया है उसको जो पावर्स दी गई हैं, अगर उन पावर्स को इसी तरीके से रहने दिया गया तो वक्फ बोर्ड फरायद मेंटेन नहीं कर सकता है ।

इसमें है कि :

"Where the Wakf Commissioner considers that an order or resolution passed by the Board—

(a) has not been passed in accordance with law; or

(b) is in excess of, or is an abuse of, the powers conferred on the Board by or under this Act or by any other law; or

(c) if implemented is likely to—

(i) cause financial loss to the Board or to the concerned wakfs generally, or

(ii) cause danger to human life, health or safety, or

(iii) lead to a riot or breach of the peace, or

(iv) is not beneficial to the Board or to any wakf or to wakfs generally,

he may, without implementing such order or resolution place the matter before the State Government along with a note pointing out the objections which he has to the order or resolution, as the case may be, and the orders of the State Government thereon shall be final and binding on the Board and the Wakf Commissioner."

श्री उपसभापति : आप पढ़िये नहीं । ये सब बातें पूरी हो गई है । अमेंडमेंट पर जो कहना है वह कहिये । आप इस पर पूरी डिबेट मत कीजिये ।

श्री सैयद अहमद हाशमी : मैं अर्ज कर रहा था कि उस पावर के मातहत इस वक्त बोर्ड के कांस्टिट्यूशन का कोई फायदा ही नहीं है । आप गौर करें न सिर्फ एक नोट पेश करेगा, जिस आर्डर से, जैसा रेजोल्यूशन... **(समय की घंटी)** आप कह दीजिये कि मैं बैठ जाऊं । अभी तो मैं मेन आइटम पर भी नहीं आया ।

श्री उपसभापति : इस पर पूरी डिबेट हो चुकी है ।

श्री सैयद अहमद हाशमी : मैं फिर अर्ज करूंगा कि जानबूझकर कांसपरेंसी की गई है जिससे अपोजीशन के मेम्बर इसमें हिस्सा न ले सकें । आपने पाबन्दी लगा दी है, हम बोल नहीं सकेंगे, पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकते ।

श्री उपसभापति : यह सारा मसला तो खत्म हो गया है ।

श्री सैयद अहमद हाशमी : हम भी खत्म हो जाय, बैठ जाये ?

श्री उपसभापति : बैठ जाइये ।

श्री सैयद अहमद हाशमी : यह क्या बात हुई ।

जनाबेआला, वह वक्फ कमिश्नर कर सकता है, रिपोर्टिंग की हद तक वह स्टेट गवर्नमेंट को ब्रीफ करेगा । इसमें भी वक्फ बोर्ड के मेम्बरों का अपीयर होना जरूरी नहीं है । वन-साइडेड फैसला हो जायेगा । सब को सुपरसीड कर दिया । उसके बाद, आप गौर करें कि प्रिंसिपल ऐक्ट की सेक्शन 63 में आलरेडी यह होगा कि स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा चुका है पहले और दिलचस्प बात यह है कि 53 और 53(बी) के अंदर आपने गोया इसको ब्राड कर दिया है, जो रोजमर्रा डीलिंग करने में वक्फ बोर्ड के फंक्शनिंग में इंटरफियर करते रहेंगे ।

मेरा अर्ज़ करने का मकसद यह है कि यह शक्ल जो कमिश्नर की है, मैंने इसके मुत्तालिक अर्ज़ किया, बहुत कुछ शिकायतें करनी थीं कि आपके रेंट कंट्रोल और लैंड रिफार्म्स के नतीजे के अन्दर आज कब्रिस्तानों की जमीनें विलेजेज के अन्दर ग्राम-पंचायतें सभाओं के हाथ में चली गई हैं, किस तरह से कब्जे हो रहे हैं, नाजायज़ कब्जों के बारे में मुझे सारी चीजें कहनी थी, लेकिन यह एक ऐसा तीरे निमकश है कि इस ने सब को बराबर कर दिया । जहां तक आप यह अमेंडमेंट जो लाए हैं यह सेक्शन 6(ए) इस एक्ट के अन्दर ज़ायत किया गया है, हमारे ला मिनिस्टर साहब को मालूम है कि आलरेडी वक्फ कमिश्नर बनाया गया इसलिए कि वक्फ जायदादों का सर्वे करे गज़ट करें और वक्फ जायदादों का सर्वे करने के बाद अगर आप उसे यह अख्तियार देते हैं यानि उसमें मजीद अमेंडमेंट हो कर, पहले इंट्रेस्ट था अब तो यह है कि इंट्रेस्ट हो या न हो, आपने अख्तियार दे दिया कि कोई दरख्वास्त वे दे कि यह जायदाद वक्फ नहीं है ऐसे किसी भी मसले के अन्दर वे सारी प्रोसीडिंग्ज़ फिर से शुरू हो जाएंगी मसला वो हो जाएगा । हम यह कहते हैं कि वक्फ इन्क्वायरी कमेटी की बुनियाद के ऊपर यह कहा जाता है, यह उसकी बुनियाद पर लाया गया है, और वक्फ इन्क्वायरी कमेटी ने इस एस्पेक्ट को गौर किया और गौर करने के बाद लीगल एडवाइस ली और उसके अन्दर उन्होंने इस बात को रिक्मेंड किया कि जब ऐसी शक्ल हो तो उन शक्लों के अन्दर जहां पर वक्फ कमिश्नर की प्रोपर इन्क्वायरी नहीं की, नहीं हो सकी है वहां तो यह हक दिया जा सकता है कि उसके लिए कोई एप्लीकेशन कबूल की जाए और उस मसले को रिओपन किया जाए वरना रिओपन नहीं करना चाहिये लेकिन ऐसा नहीं किया । आप ने सेक्शन 6(ए) बढ़ा कर के एक नया तरीका खोल दिया गया है जिससे कि जितनी प्रोसीडिंग्ज़ हैं आपके सर्वे की वह सभी चैलेंज हो जाएंगी, कोई बाकी नहीं रहेगीं । अब आई है हमारी अमेंडमेंट मज़ीद वक्फ एक्सटेंशन के सिलसिले के अन्दर एक बात गौर करें यह देखें कि वक्फ एक्सटेंशन लिमिटेशन किन हालात में हुआ ? यह वक्फ लिमिटेशन एक्ट जो है यह मुल्क के बंटवारे की बैकग्राउंड में आया था । पोज़ीशन ऐसी थी कि किसी वक्फ जायदाद के बारे में अगर कोर्ट में भी जाएं और गज़ट होने के बावजूद अगर देख लिया जाए, कोई मुद्दई अगर पेश करे कि या वक्फ बोर्ड अगर मुद्दई बने तो आपके मेजीस्ट्रेट खारिज कर देते थे कबूल नहीं करते थे इस बैकग्राऊंड के अन्दर वक्फ एक्सटेंशन लिमिटेशन एक्ट बना महज़ इसलिए कि जो हालात हैं उनसे निपटा जाए उसका

[श्री सैयद अहमद हाशमी]

मतलब यह नहीं था कि किसी वक्फ को एक मुद्दत तक मुकर्रर करने के बाद एडवर्स पोजीशन हो गई लिहाजा उसको हम निपटा दें । इस सिलसिले के अन्दर मैंने एक बात कही थी कि वक्फ इन्क्वायरी कमेटी ने वक्फ एक्सटेंशन लिमिटेशन एक्ट के बारे में भी अपनी रिपोर्ट जो दी है उसके अन्दर बुनियादी तौर से डिमांड किया है इसको लाने के लिए लैंग्थ आफ टाइम से बाऊंड न किया जाए और आनरेबल मिनिस्टर साहब यह वक्फ इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पेज 62 के अन्दर यह देख लें कि उन्होंने चेपटर 11 के अन्दर इसको दिया है और इसको वे गौर से पढ़ लें । अगर मैं पढ़ूंगा तो आप कहेंगे कि टाइम ज्यादा हो रहा है । पूरा पैरा है जिस में उन्होंने कहा है कि एक्ट के अन्दर शामिल किया जाए । इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है कि इसको टाइम बाऊंड किया जाए । मैं समझता हूं कि यह सारी चीजें जो आपके वक्फ़ के सिलसिले के अन्दर हैं आप उनके ऊपर गौर करें तो मालूम होगा । यह ठीक है मैंने इसकी तारीफ की है, पेशकदमी है लेकिन यह एक हाथ से देने और दूसरे हाथ से लेने की बात है। सैक्शन 15(ए), 15(डी) में वक्फ प्रोपर्टीज के डवलपमेंट का जिक्र आया है लेकिन उसको मास्टर प्लान से अनेक्स कर दिया गया है । मास्टर प्लान का इसी दिल्ली के अन्दर जो हुआ है वह बता दूं ? एक तो जितनी वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं वे ग्रीन यूज दिखला दी गयी हैं और मेरे ख्याल में मुल्क के हर हिस्से के अंदर उसका लैंड यूज ग्रीन ही दिखला दिया गया है और मास्टर प्लान हजारों कोशिशों के बाद भी मंजूर नहीं होता है । मैं खुद वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा हूं जानता हूं कि अपने एक प्रोजेक्ट के लिए हजार कोशिशें की कि लैंड यूज इसका चेंज हो जाये लेकिन नहीं हो सका । जाहिर है कि आपने तो कहा कि उसका डेवलपमेंट हो तो डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसका यूज जो है वह ग्रीन है । ऐसी जमीनों के लैंड यूज की तब्दीली के लिए दरख्वास्त देने का वक्फ बोर्डों को हक होना चाहिए (**समय की घंटी**) अब मैं क्या बतलाऊं ।

श्री उपसभापति : 13 मिनट हो गये हैं आप खत्म करिये ।

श्री सैयद अहमद हाशमी : बर्नी कमेटी के सिलसिले के अन्दर कहना चाहता हूं कि बर्नी कमेटी का यह इश्यू था । आप ही की गवर्नमेंट के अंदर सेटल हो चुका था । बीच में एक पीरियड ऐसा आया जबकि आप नहीं थे । उसके बाद यह मतालबा था कि बर्नी कमेटी का इम्प्लीमेंटेशन हो लेकिन वह नहीं हुआ । उसका इम्प्लीमेंटेशन यूं हुआ कि उसकी जायदादें जो फेहरिस्त में थीं उसको दिया जाए, किस तरीके से वक्फ बोर्ड को ? इस तरीके से दिया गया कि उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट की कायम रहे । नतीजा यह हुआ कि उस पर रिट दाखिल हो गयी और वह वक्फ बोर्ड के हवाले नहीं हो सकती है अगर उसकी ओनरशिप बाकी रही ।

मैं कहता हूं कि सेक्शन 36 बी में नाजायज कब्जे को खत्म करने के जो वक्फ कमिश्नर को अख्तियारात दिये गये हैं वे नाकाफी हैं । एक तरफ वक्फ कमिश्नर के आपने इतने अख्तियारात बढ़ा दिये हैं लेकिन टाइटल के सूट कितने पड़े हुए हैं ? समरी इविक्शन के भी आपने अख्तियारात कमिश्नर को नहीं दिये । मैं कहता हूं कि जिस तरीके से आन्ध्र प्रदेश के अंदर हिंदू चैरिटेबुल रिलीजियस इंस्टीटयूशन्स इन्डाउमेंट एक्ट है उसके तौर पर ही आप अख्तियारात देंगे तब जाकर वह होगा ।

इसी तरीके से आपने ट्रिब्यूनल्स किये, बड़ी अच्छी बात है । यू०पी० एक्ट का तजुर्बा है कि ट्रिब्यूनल्स हैं लेकिन अगर आप उसमें सीमित नहीं करते हैं कि इतने वक्त तक ट्रिब्यूनल अपना फैसला दे दे तो लिटीगेशन की वही शक्ल अपने यहां पर बाकी रहेगी और कायम रहेगी। आप इसको न भूलें ।

अब एक और बात आप समझें कि इन्क्रोचमेंट और नाजायज कब्जे के अंदर सिर्फ प्राइवेट लोग नहीं हैं, खुद गवर्नमेंट है । आपके दिल्ली के अंदर एशियाड खेलों के अंदर इन्होंने कब्रिस्तानों पर ओवर ब्रिज बनाये । आपके कोटा राजस्थान के अंदर, डेवलपमेंट अथारिटीज ने कंस्ट्रक्शन किये । जाहिर है कि अगर इन्क्रोचमेंट को खत्म करना होगा तो खुद स्टेट गवर्नमेंट को इस बात का लिहाज करना पड़ेगा । आपको गाइड-लाइन्स देनी पड़ेंगी कि जिससे कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वे रहनुमाई न करें या वह सिम्बल न बन जायें इस बात का कि नहीं साहब इन जायदादों का कोई माई बाप नहीं लिहाजा इन पर कब्जा कर लो, कोई बोलने वाला नहीं है, हजार कहने के बावजूद ।

आपके लैंड रिफार्म्स एक्ट हैं । लैंड रिफार्म्स एक्ट के लागू होने के बाद देहातों के अंदर जितने कब्रिस्तान हैं वे सब के सब ग्राम पंचायतों के कब्जे में चले गये । जाहिर है कि दिवानी रिकार्ड, रेवेन्यू, रिकार्ड के अंदर कब्रिस्तान नहीं दिखलाये गये हैं । लेकिन आपने वक्फ बाई यूजर्स जब तस्लीम किया तो कोई वजह नहीं कि कब्रिस्तानों को उसी तरीके से तस्लीम न किया जाये । आज नतीजा यह है कि न सिर्फ कब्जे हो रहे हैं बल्कि हो यह रहा है कि उसके नतीजे में फसादात हो रहे हैं । तो इन शक्लों को भी आप देखें । आपने बहुत जल्दी से जिस तरीके से कोई मन्तर पढ़े, उस तरह से मंतर पढ़वा दिया है और सही बात यह है कि इसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर दिया है इतने सेंसिटिव और अहम मसले के अंदर । बहरहाल जो मैंने बुनियादी बातें कही हैं मैं समझता हूं कि आनरेबुल मिनिस्टर जरूर उन पर तवज्जह देंगे ।

†[شری سید احمد هاشمی

(اتر پردیش) : مسٹر ڈپٹی چیئرمین۔ میں آنریبل منسٹر صاحب کو اپنے بزرگ دوست مسٹر جگن ناتھ کوشل جی کو مایوس نہیں کروں گا - میں ضرور ان کی تعریف کروں گا کہ انکا انٹینشن رہا ہے کہ یہ بل جلدی آئے - وہ ہمارے دوست رہے ہیں - لیکن وہ مجھے نہیں پہچانتے ہیں - لیکن میں انہیں پہچانتا ہوں - اس طرح ہماری ڈھکی چھپی دوستی رہی ہے - میں چاہتا ہوں کہ میں اس بات کا اظہار کر دوں کہ میں انہیں یقیناً مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کا انٹینشن اچھا رہا ہے - لیکن اس بل کے بارے میں میں کچھ باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں - جہاں میں انکو پرسنلی مبارکباد دے رہا ہوں وہیں میں غالب کا ایک شعر عرض کردینا چاہتا ہوں - مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہمارے منسٹر صاحب کو ادب سے دلچسپی ہے یا نہیں ......

کوئی میرے دل سے پوچھے
کہ تیرے تیر کش سے
یہ خلش کہاں سے ہوتی
جو جگر کے پار ہوتا -

*[†] Transliteration in Arabic script.

[شری سید احمد ہاشمی]
اگر یہ کہا جائے کہ یہ بل پورے وقف کو ڈیپارٹمنٹ یا محکمہ بنالے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا - ڈیپارٹمنٹ کی طرح سے وقف کا کام کرنے کا لیکن یہ ایسے سخی ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے کھینچ لیتے ہیں - آپ غور کریں میں صرف ایک ریفرینس دینا چاہوں گا کہ پرنسپل وقف ایکٹ سن ۱۹۵۴ کا ہے اس کے سیکشن ۱۵ میں وقف بورڈ کے اختیارات کو بیان کیا گیا ہے - سیکشن ۱۵ میں وقف بورڈ کو اختیارات دینے کے باوجود اس امینڈنگ بل کے اندر سیکشن ۲۱ (ڈی) کو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے لا منسٹر آنکھوں سے اوجھل کر گئے ہیں - یہ جان بوجھ کر ایسا کیا گیا ہے - دونوں میں کنٹراڈکشن ہے - اگر ۲۱ (ڈی) ہے تو سیکشن ۱۵ بالکل بیکار ہے اسکا کوئی فائدہ نہیں ہے - اس لئے میں چاہتا ہوں کہ سیکشن ۱۵ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کردوں -

"Subject to any rules that may be made under this Act, the general superintendence of all wakfs in a State shall vest in the Board established for the State and it shall be the duty of the Board so to exercise the powers under this Act as to ensure that the wakfs under its superintendence are properly maintained, controlled and administered and the income thereof is duly applied to the objects and for the purpose for which wakfs were created."

اس کے بعد سے پوری دفعات دی گئی ہیں - جنہیں کہ میں چھوڑ رہا ہوں - اگر اس کو دیکھ لیجئے تو اسکے مقابلے ۲۱ (ڈی) ہے - جس کے اندر اس ایکٹ کے اندر ممبر سیکریٹری جسے وقف کمشنر کہا گیا ہے اس کو جو پاورس دی گئی ہیں اگر ان پاورز کو اسی طریقہ سے رکھ دیا گیا تو وقف بورڈ فرائض مینٹین نہیں کر سکتا ہے -

اس میں ہے کہ ......

"Where the Wakf Commissioner considers that an order or resolution passed by the Board—

(a) has not been passed in accordance with law; or

(b) is in excess of, or is an abuse of, the powers conferred on the Board by or under this Act or by any other law; or

(c) if implemented, is likely to—

(i) cause financial loss to the Board or to the concerned wakfs generally, or

(ii) cause danger to human life, health or safety, or

(iii) lead to a riot or breach of the peace, or

(iv) is not beneficial to the Board or to any wakf or to wakfs generally,

he may, without implementing such order or resolution place the matter before the State Government along with a note pointing out the objections which he has to the order or resolution, as the case may be, and the

Mamchand 1019 RS 8x10x14 26-9-84

orders of the State Government thereon shall be final and binding on the Board and the Wakf Commissioner."

†[شری اپ سبھاپتی: پڑھئے نہیں-

یہ سب بات پوری ہو گئی ہے - امینڈمینٹ پر جو کہنا ہے وہ کہئے - آپ اس پر پوری ڈبیٹ مت کیجئے -]

†[شری سید احمد ہاشمی : میں عرض کر رہا تھا کہ اس پاور کے ماتحت اس وقف بورڈ کے کانسٹی ٹیوشن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے - آپ غور کریں - نہ صرف ایک نوٹ پیش کرے گا - جس بورڈ سے - جیسا رزولیشن . . . . . (وقت کی گھنٹی) . . . آپ کہدیجئے کہ میں بیٹھ جاؤں ابھی تو میں آئٹم پر بھی نہیں آیا -]

†[شری اپ سبھاپتی : اس پر پوری ڈبیٹ ہو چکی ہے -]

†[شری سید احمد ہاشمی : میں پھر عرض کروں گا کہ جان بوجھکر کانسپریسی کی گئی ہے جس سے اپوزیشن کے ممبر اس میں حصہ نہ لے سکیں - آپ نے پابندی لگا دی ہے - ہم بول نہیں سکیں گے - پانچ منٹ سے زیادہ نہیں بول سکتے -]

†[شری اپ سبھاپتی : یہ سارا مسئلہ تو ختم ہو گیا ہے -]

†[شری سید احمد ہاشمی : ہم بھی ختم ہو جائیں - بیٹھ جائیں -]

†[شری اپ سبھاپتی: بیٹھ جایئے -]

†[شری سید احمد ہاشمی : یہ کیا بات ہوئی - جناب والا وہ وقف کمشنر کر سکتا ہے - رپورٹنگ کی حد تک وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو بریف کرےگا - اس میں بھی وقف بورڈ کے ممبروں کا اپیر ہونا ضروری نہیں ہے - ون سائیڈڈ فیصلہ ہو جائے گا - سب کو سپر سیڈ کر دیا - اسکے بعد آپ غور کریں کہ پرنسپل ایکٹ کی سیکشن ۶۳ میں آلریڈی یہ ہوگا کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو دیا جا چکا ہے پہلے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ۵۳ اور ۵۳ (بی) کے اندر آپ نے گویا اس کو براڈ کر دیا ہے - جو روز مرہ ڈیلنگ کرنے میں وقف بورڈ کے فنکشننگ میں انٹرفیئر کرتے رہیں گے -

سر - میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شکل جو کمشنر کی ہے میں نے اسکے مطابق عرض کیا - بہت کچھ شکایتیں کرنی تھیں - کہ آپ کے رینٹ کنٹرول اور لینڈ ریفارمس کے نتیجہ کے اندر آج قبرستانوں کی زمین وابیدز کے اندر گرام پنچایت سبھاؤں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے - جس طرح سے قبضے ہو رہے ہیں - ناجائز قبضوں کے بارے میں مجھے ساری چیزیں کہنی تھیں - لیکن یہ ایک ایسا تھر نوم کس ہے کہ اس نے سب کو برابر کر دیا - جہاں تک

†[ ] Transliteration in Arabic script.

[شری سید احمد هاشمی]

آپ امینڈمینٹ جو لائے ہیں یہ سیکشن ۲ (اے) اس ایکٹ کے اندر زائد کیا گیا ہے - ہمارے منسٹر صاحب کو معلوم ہے کہ آزیٹی وقف کمشنر بنایا گیا اس لئے کہ وقف جائدادوں کا سروے کرے گزٹ کریں اور وقف جائدادوں کا سروے کرنے کے بعد اگر آپ اسے اختیار دیتے ہیں یعنی اس کے مزید امنڈمینٹ ہو کر پہلے انٹریسٹ تھا اب تو یہ ہے کہ انٹریسٹ ہو یا نہ ہو - آپ نے اختیار دے دیا کہ کوئی درخواست دے دے کہ یہ جائداد وقف نہیں ہے - ایسے کسی بھی مسئلہ کے اندر وہ ساری پروسیڈنگ پھر سے شروع ہو جائے گی - ہم یہ کہتے ہیں کہ وقف انکوائری کمیٹی کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی بنیاد پر لایا گیا ہے اور وقف انکوائری کمیٹی نے اس ایسپیکٹ کو غور کیا اور غور کرنے کے بعد لیگل ایڈوائس لی اور اسکے اندر انہوں نے اس بات کو رکمنڈ کیا کہ جب ایسی شکل ہو تو ان شکلوں کے اندر جہاں پر وقف کمشنر کی پروپر انکوائری نہیں کی - نہیں ہو سکی ہے وہاں تو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ اس کے لئے کوئی اپلیکیشن قبول کی جائے اور اس مسئلہ کو ری اوپن کیا جائے - ورنہ ری اوپن نہیں کرنا چاہئے لیکن ایسا نہیں کیا - آپ نے سیکشن ۲ (اے) بڑھا کر کے ایک نیا طریقہ کھول دیا ہے جس سے کہ جتنی پروسیڈنگ ہے آپ کے سروے کی وہ سبھی چیلنج ہو جائینگی کوئی باقی نہیں رہے گی - اب آئی ہے ہماری امنڈمینٹ مزید ایکسٹینشن کے سلسلے کے اندر - ایک بات غور کریں یہ دیکھیں کہ وقف ایکسٹینشن لمٹیشن کن حالات میں ہوا - یہ وقف لمیٹیشن ایکٹ جو ہے وہ ملک کے بٹوارے کے بیکگراونڈ میں آیا تھا اپوزیشن ایسی تھی کہ کسی جائداد کے بارے میں اگر کورٹ میں بھی جائیں اور گزٹ ہونے کے باوجود اگر دیکھ لیا جائے - کوئی مدعی اگر پیش کرے یا وقف بورڈ اگر مدعی بنے تو آپ کے مجسٹریٹ خارج کر دیتے تھے قبول نہیں کرتے تھے - اس بیک گراونڈ کے اندر وقف ایکسٹینشن لمٹیشن ایکٹ بنا - محض اس لئے کہ جو حالات میں ان سے نپٹا جائے - اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی وقف کو ایک مدت تک مقرر کرنے کے بعد ایڈورس پوزیشن ہو گئی - لہذا اس کو ہم نپٹا دیں - اس سلسلے کے اندر میں نے ایک بات کہی تھی کہ وقف انکوائری کمیٹی نے وقف ایکسٹینشن لمیٹیشن ایکٹ کے بارے میں بھی اپنی رپورٹ جو دی ہے اسکے اندر بنیادی طور سے ڈیمانڈ کیا ہے اس کو لانے کے لئے "لینتھ آف ٹائم" سے باونڈ نہ کیا

جائے اور آنریبل منسٹر صاحب یہ وقف انکوائری کی رپورٹ پیج نمبر ۶۲ کے اندر یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے چیپٹر ۱۱ کے اندر اسکو دیا ہے اور اسکو وہ غور سے پڑھ لیں - اگر میں پڑھوں گا تو آپ کہیں گے کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے - پورا پیرا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایکٹ کے اندر شامل کیا جائے - اس لئے اسکی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسکو ٹائم باؤنڈ کیا جائے - میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کے وقف کے سلسلے کے اندر ہیں آپ انکے اوپر غور کریں تو معلوم ہوگا - یہ ٹھیک ہے میں نے اسکی تعریف کی ہے - پیش قدمی ہے - لیکن یہ ایک ہاتھ سے دینے اور دوسرے ہاتھ سے لینے کی بات ہے - سیکشن ۱۵ (اے)—۱۵ (ڈی) میں وقف پروپرٹیز کے ڈولپمینٹ کا ذکر آیا ہے - لیکن اس کو ماسٹر پلان سے انیکس کر دیا گیا ہے - ماسٹر پلان کا اسی دلی کے اندر جو حشر ہے وہ بتا دوں - ایک تو جتنی وقف بورڈ کی زمینیں ہیں وہ گرین بیلٹ دکھلا دی گئی ہیں اور میرے خیال میں ملک کے ہر حصہ کے اندر اسکا لینڈ یوز گرین ہی دکھلا دیا گیا ہے اور ماسٹر پلان ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی منظور نہیں ہوتا ہے - میں خود وقف بورڈ کا چیئرمین رہا ہوں جانتا ہوں کہ آپ نے ایک پروجیکٹ کیلئے ہزار کوششیں کیں

کہ لینڈ یوز اسکا چینج ہو جائے لیکن نہیں ہو سکا - ظاہر ہے کہ آپ نے تو کہا کہ اسکا ڈولپمینٹ ہو تو ڈولپمینٹ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ اسکا یوز جو ہے وہ گرین ہے - ایسی زمینوں کے لینڈ یوز کے تبادلہ کیلئے درخواست دینے کا وقف بورڈوں کو حق ہونا چاہئے . . . (وقت کی گھنٹی) . . . . اب میں کیا بتاؤں -

†[شری اپ سبھاپتی : ۱۳ منٹ ہو گئے ہیں آپ ختم کریئے -]

†[شری سید احمد ہاشمی : برنی کمیٹی کے سلسلے کے اندر کہنا چاہتا ہوں کہ برنی کمیٹی کا یہ ایشو تھا - آپ ہی کی گورنمنٹ کے اندر مکمل ہو چکا تھا - بیچ میں ایک پیریڈ ایسا آیا جبکہ آپ نہیں تھے - اسکے بعد یہ مطالبہ تھا کہ برنی کمیٹی کا امپلیمینٹیشن ہو لیکن یہ نہیں ہوا - اسکا امپلیمینٹیشن یوں ہوا کہ اسکی کچھ جائدادیں جو فہرست میں تھیں اسکو دیا جائے - کس طریقہ سے وقف بورڈ کو - اس طریقہ سے دیا گیا کہ اسکی آنر شپ گورنمنٹ کی قائم رہے - نتیجہ یہ ہوا کہ اس پر رٹ داخل ہو گئی اور وہ وقف بورڈ کے حوالے نہیں ہو سکتی ہے - اگر اسکی آنرشپ باقی رہی -

میں کہتا ہوں کہ سیکشن ۳۶ (بی) میں ناجائز قبضہ کو ختم کرنے

[شری سید احمد هاشمی]

کے جو وقف کمشنر کو اختیارات دیئے گئے ہیں وہ ناکافی ہیں - ایک طرف وقف کمشنر کے آپ نے اتنے اختیارات بڑھا دیئے ہیں لیکن ٹائٹل کے سوٹ کتنے پڑے ہوئے ہیں- سمری ایویکشن کے بھی آپ نے اختیارات کمشنر کو نہیں دیئے - میں کہتا ہوں کہ جسطریقہ سے آندھرا پردیش کے اندر ہندو چیریٹیبل ریلیجیس انسٹی ٹیوشنس انڈاومینٹ ایکٹ ہے اسکے طور پر ہی آپ اختیارات دینگے تب جاکر وہ ہوگا -

اسی طریقہ سے آپ نے ٹریبونلس کئے - بڑی اچھی بات ہے لیکن یو - پی - ایکٹ کا تجربہ ہے کہ ٹریبونلس ہیں لیکن اگر آپ اسمیں سمٹ نہیں کرتے ہیں کہ اتنے وقت تک ٹریبونل اپنا فیصلہ دیدے تو لٹی گیشن کی وہی شکل اپنے وہانپر باقی رہے گی اور قائم رہے گی - آپ اسکو نہ بھولیں - اب ایک اور بات آپ سمجھیں کہ انکروچمینٹ اور ناجائز قبضے کے اندر صرف پرائیویٹ لوگ نہیں ہیں خود گورنمنٹ ہے - آپکے دلی کے اندر ایشیاڈ کھیلوں کے اندر انہوں نے قبرستانوں پر اوور برج بنائے - آپ کے کوٹہ راجستھان کے اندر ڈولپمینٹ اتھارٹیز نے کنسٹرکشن کئے ظاہر ہے کہ اگر انکروچمینٹ کو ختم کرنا ہوگا تو خود اسٹیٹ گورنمنٹ کو اس بات کا لحاظ کرنا پڑیگا - آپکو گائیڈ لائنس دینی پڑینگی کہ جس سے کچھ اسٹیٹ گورنمینٹ جو ہیں وہ رہنمائی نہ کریں یا وہ سمبل نہ بن جائیں اس بات کا کہ نہیں صاحب ان جائدادوں کا کوئی مائی باپ نہیں لہذا ان پر قبضہ کر لو کوئی بولنے والا نہیں ہے ہزار کہنے کے باوجود -

آپ کے لینڈ ریفارمس ایکٹ ہیں - لینڈ ریفارمس ایکٹ کے لاگو ہونے کے بعد دیہاتوں کے اندر جتنے قبرستان ہیں وہ سب کے سب گرام پنچایتوں کے قبضے میں چلے گئے - ظاہر ہے کہ دیوانی ریکارڈ ریوینیو ریکارڈ کے اندر قبرستان نہیں دکھلائے گئے ہیں - لیکن آپ نے وقف بائی یوزرس جب تسلیم کیا تو کوئی وجہ نہیں کہ قبرستانوں کو اسی طریقہ سے تسلیم نہ کیا جائے - آج نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف قبضہ ہو رہے ہیں بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ اس کے نتیجہ میں فسادات ہو رہے ہیں - تو ان شکلوں کو بھی آپ دیکھیں - آپ نے بہت جلدی سے جس طریقہ سے کوئی منتر پڑھے - اسی طرح سے منتر پڑھوا دیا ہے - اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقہ سے ایکسپلین نہیں کر دیا ہے اتنے سینسیٹیو اور اہم مسئلہ کے اندر -

بہر حال جو میں نے بنیادی باتیں کہی ہیں - میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل منسٹر ضرور ان پر توجہ دیں گے -]

श्री (मौलाना) असरारुल हक (राजस्थान) : जनाब डिप्टी चैयरमैन साहब, वक्फ बिल हमारी राज्य सभा में से लोक सभा में गया, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं वक्फ मिनिस्टर, श्री जगन्नाथ कौशल जी को, जिन्होंने इस बिल को पेश करके निहायत नर्म और मफाहमत का रवैया अख्तियार किया। मोसूफ ने बिल पेश करते हुए यह एलान किया कि वक्फ बिल में मुसलिम अराकीन की मुत्तफिका तरमीम को कबूल कर लिया जायेगा। 67 दफात का यह बिल अव्वलीन कानून 1964 ईसवी की बुनियाद पर वक्फ तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर मबनी है। इस बिल पर लोक सभा में बहुत अच्छी तरमीमें पेश की गई, जिनमें से मुत्तफिका तरमीमों को आनरेबल मिनिस्टर साहब ने मंजूर भी कर लिया, और अब यह तरमीमशुदा बिल फिर राज्य सभा में मंजूरी के लिये आ गया है। इस तरमीमशुदा एक्ट का मकसद मुल्क के वक्फ जायदादों के बेहतर इंतजाम के लिये है। इसमें वक्फ कमिश्नरों की तकरूरी को लाज़मी करार दिया गया है। यह तजवीज के वक्फ जायदादो की बाजयाबी की मुद्दत तीस साल तक महदूद कर दी जाए और वक्फ बोर्ड के जरिये जमीन के हुसूल के खिलाफ अपील की मुद्दत की सिर्फ एक साल की हद मुकर्रर कर दी जाए, निहायत मुनासिब है। यह अगर्चे मुकम्मिल और जामेबिल नहीं है, लेकिन यह जरूर कहा जाएगा कि यह बिल एक तरक्की पसंदाना और सही सिमत में एक मुनासिब इकदाम है।

यह बिल इस बात को जाहिर करता है कि सरकार ईमानदारी के साथ उन तमाम जायदादों का जो खैराती या मजहबी और इसी मकसद के लिये वक्फ की गई हैं, उनका इस्तेमाल मंशाये वाकिफ के तहत होगा। सरकार का यह तारीखी कारनामा होगा और इन तमाम जिंदों और दुनिया से गुजर जाने वालों की अरवाह तमानियत का सबब होगा, वरना वक्फ जायदादो का हाल तो बकौल ऐक शायर यह था—

"सैयाद ने बढ़ाई है इस तरह मश्के जुल्म,
जब आया, मुझ असीर के दो पर कतर गया।"

लोगों ने वक्फ जायदादों और कब्रिस्तान पर बडी बडी बिल्डिगें बना ली हैं। दिल्ली का मशहूर ओबराय होटल कब्रिस्तान की जमीन पर बना है, बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन में हजारों मकान, पार्क और इमारतें वक्फ की जमीनों और कब्रिस्तान की जमीनों पर बने हुए हैं,। यहीं नही, कुतुब मीनार, पुराना दिल्ली और नई दिल्ली, कोटा राजस्थान वगैहरा में बहुत से नाजायज़ कब्जे हैं। यह बिल उन खराबियों को बडी हद तक दूर करेगा।

कमिश्नर आई०ए० एस० अफसर होगा मैं इस पर वज़ीरे औकाफ को मुबारकबाद देना चाहता हूं। वक्फ जायदादों को किसी गैर-मजहब वालों के नाम नहीं किया जायेगा, वक्फ जायदादों के लिये भी यह एक बहुत मुनासिब इकदाम है, लेकिन वक्फ जायदादों को रेंट कण्ट्रोल एक्ट के से मुस्तसना नही किया गया, इससे करोडो रुपयों का हमारा नुकसान हो रहा है। फतेहपुरी की जामा मस्जिद में जो चार-चार हजार रूपये माहवार की जो

[श्री (मौलाना) असरारूल हक]

दुकानें हैं, वह पचास रुपये महीने पर आज भी हैं। जब दुनिया बनी थी, जब दुनिया बसी थी, जब इन्सान दुनिया में आया था, तब जो किराया था, वही आज वक्फ की जायदाद वालों को मिल रहा है। इससे बहुत बड़ा नुकशान है। अगर इससे रेंट कंट्रोल एक्ट में मुस्तसना करार दिया जाये, तो वक्फ को करोडो रुपये की आमदनी हो जायेगी। वक्फ मिनिस्टर साहब इस लिये काबिले मुबारकबाद है कि इस कानून का मुल्क में बेचेनी से इंतजार किया जा रहा था। मौसूफ ने पूरी इनहिमाक और कोशिश से इसको तवक्को के मुताबिक जल्द कानून बना दिया।

[उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली) पीठासीन हुए।]

आखिर में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वक्फ मिनिस्टर साहब इस जानिब तवज्जह फरमायें कि इन्क्रोचमेंन्ट का एक दस्ता--मैंने पहले भी कहा था इनक्रोचमेंट का एक दस्ता वक्फ बोर्ड के मातहत बनाया जाये, ताकि नाजाइज कब्जों के सिलसिले में वह उनको बेदखल कर सके। इस तरफ कोई खास तवज्जह नही दी गई। काश, इधर भी तवज्जह दी जाये, तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा।

मैं इस तरमीमशुदा बिल को दिल से ताईद करता हूं और मैं मुबारकबाद देता हूं।

†[شری مولانا اسرارالحق (راجستھان):

جناب وائس چیئرمین صاحب - وقف بل ہمارے راجیہ سبھا سے اوک سبھا میں گیا - میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں - وقف منسٹر شری جگن ناتھ کوشل جی کو - جنہوں نے اس بل کو پیش کر کے نہایت نرم اور مفاہمت کا رویہ اختیار کیا - موصوف نے بل پیش کرتے ہوئے یہ اعلان بھی کیا کہ وقف بل میں مسلم اراکین کی متفقہ ترمیم کو قبول کر لیا جائیگا - ۷۶ دفعات کا یہ بل اوقاف قانون ۱۹۶۴ عیسوی کی بنیاد پر وقف ایکٹ کی تحقیقاتی کمیٹی کی سفارش پر مبنی ہے - اس بل پر لوک سبھا میں بہت اچھی ترمیمیں پیش کی گئیں - جنمیں سے متفقہ ترمیموں کو آنریبل منسٹر صاحب نے منظور بھی کر لیا - اور یہ ترمیم شدہ بل پھر راجیہ سبھا میں منظوری کیلئے آ گیا ہے - اس ترمیم شدہ ایکٹ کا مقصد ملک میں وقف جائیدادوں کے بہتر انتظام کیلئے ہے - اسمیں وقف کمشنروں کی تقرری کو لازمی قرار دیا گیا ہے - یہ تجویز کہ وقف جائیدادوں کی بازیابی کی مدت تیس سال تک محدود کر دیجائے اور وقف بورڈ کے ذریعہ زمین کے حصول کے خلاف اپیل کی مدت کی صرف ایک سال کی حد مقرر کر دیجائے - نہایت مناسب ہے -

یہ اگرچہ مکمل اور جامعہ بل نہیں ہے لیکن یہ ضرور کہا جائیگا کہ یہ بل ایک ترقی پسندانہ اور صحیح سمت میں ایک مناسب

†[ ] Transliteration in Arabic script.

کو رینٹ کنٹرول ایکٹ سے مستثنیٰ نہیں کیا گیا - اس سے کروڑوں روپیوں کا ہمارا نقصان ہو رہا ہے - فتحپوری کی جامع مسجد میں جو چار چار ہزار روپیہ ماہوار کی دوکانیں ہیں وہ پچاس روپیہ مہینہ پر آج بھی ہیں - جب دنیا بنی تھی اور جب دنیا بسی تھی جب انسان دنیا میں آیا تھا - تب جو کرایہ تھا وہی آج وقف کی جائداد والوں کو مل رہا ہے - اس سے بہت بڑا نقصان ہے - اگر اسے رینٹ کنٹرول ایکٹ میں مستثنیٰ قرار دیدیا جائے تو وقف کی کروڑوں روپیہ کی آمدنی ہو جائے گی -

وقف منسٹر صاحب اس لئے بھی قابل مبارکباد ہیں کہ اس قانون کا ملک میں بیچینی سے انتظار کیا جا رہا تھا - موصوف نے پورے انہماک اور کوشش سے اس کو توقع کے مطابق جلد قانون بنا دیا -

[اپ سبھا ادھیکش (شری سید رحمت علی) پیٹھاسین ہوئے]

آخر میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وقف منسٹر صاحب اس جانب توجہ فرمائیں کہ انکروچمینٹ کا ایک دستہ. . . میں نے پہلے بھی کہا تھا انکروچمینٹ کا ایک دستہ وقف بورڈ کے ماتحت بنایا جائے تاکہ ناجائز قبضوں کے سلسلے میں وہ ان کو بےدخل کر سکیں اس طرف کوئی

اقدام ہے - یہ بل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سرکار ایمانداری کیساتھ ان تمام جائیداد اور املاک کو جو خیراتی یا مذہبی اور اسی مقصد کیلئے وقف کیگئی ہیں انکا استعمال منشاء وقف کے تحت ہوگا - سرکار کا یہ تاریخی کارنامہ ہوگا اور ان تمام زندوں اور دنیا سے گزر جانے والوں کی ارواح طمانیت کا سبب ہوگا ورنہ وقف جائیدادوں کا حال تو بقول شاعر یہ تھا -

صیاد نے بڑھائی ہے اسطرح مشق ظلم
جب آیا مجھ اسیر کے دو پر کتر گیا -

لوگوں نے وقف جائیدادوں اور قبرستانوں پر بڑی بڑی بلڈنگس بنالی ہیں - دلی کا مشہور اوبرائے ہوٹل قبرستانوں کی زمین پر بنا ہے - بستی حضرت نظام الدین میں ہزاروں مکان پارک اور عمارتیں وقف کی زمینوں اور قبرستان کی زمینوں پر بنے ہوئے ہیں - یہی نہیں قطب مینار - پرانی دلی - نئی دلی اور کوٹہ راجستھان وغیرہ میں بہت سے ناجائز قبضے ہیں - یہ بل ان خرابیوں کو بڑی حد تک دور کرے گا -

کمشنر آئی - اے - ایس - افسر ہوگا - میں اس پر وزیر اوقاف کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں - وقف جائدادوں کو کسی غیر مذہب والوں کے نام نہیں کیا جائیگا - وقف جائدادوں کے لئے بھی یہ ایک بہت مناسب اقدام ہے - لیکن وقف جائدادوں

خاص توجہ نہیں دی گئی - کاش
ادھر بھی توجہ دی جائے تو بہت
زیادہ بہتر ہوگا -

میں اس ترمیم شدہ بل کی دل
سے تائید کرتا ہوں - اور میں مبارکباد
دیتا ہوں -]

SHRI RAOOF VALIULLAH (Gujarat): Sir, at the very outset, I congratulate the Law Minister for bringing the amendments made by the Lok Sabha to the Wakf (Amendment) Bill, 1984.

Sir, actually I had lost all hopes wondering whether the Bill, amended, would come up before this House for discussion. Today being the last day, if this Bill would not have come, I do not know what would have happened. Sir, during the last 14 years, the Muslims of this country are discussing the problem of wakf properties since the Wakf Inquiry Committee was constituted in the year 1970. Their interim Report was presented in November, 1973 and the final Report was presented in April, 1976. This Report has been examined by the Central Wakf Council, by the Minorities Commission, by the Wakf Boards of the various States and by other organisations and individuals. But there was a lot of difference of opinion among the Muslim Members of Parliament and the recommendations of the Inquiry Committee have not been accepted in *toto*. Therefore, the Government probably accepted two or three amendments made by the honourable Member, Shri Gulsher Ahmed, in the other House. Sir, I am thankful to the honourable Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, who took interest in the Wakf Bill and saw to it that unanimity prevailed among the Members of Parliament, notably among the Muslim Members of Parliament. Sir, other than the amendments accepted by the Government, there are a few other recommendations of the Committee which have not been accepted by the Government, namely, the abolition of the Wakf Council. About this issue all the committees and individuals who have been consulted have unanimously said that this council should be abolished. Another recommendation of the wakf enquiry committee was that if any Mutawalli in the past has committed any offence or mis-appropriation or embezzlement he could be punished. This recommendation has also not been accepted by the Government.

Sir the third recommendation about salaries being paid from the consolidated funds of the States has also not been accepted by Government saying that the State Legislatures can pass necessary legislation to this effect. In this context, I would request the Law Minister to advice the State Governments to enact such legislations. Sir another important recommendation of the enquiry committee which has not been accepted by the Government, is that if the property is a wakf property, it should not be acquired under the Land Acquisition Act, and if any property is acquired then it should be taken as void. Sir, I understand this forms a part of Land Acquisition Act which has just been passed by this august House. Another important thing is that there is no provision that on all-India level wakf property will be exempted from the purview of the Rent Control Act. Sir on the other hand, the recommendation of the committee to appoint the Commissioner of Wakf as Chairman of state wakf board has not been accepted by the Government, and rightly so. Sir, I welcome this decision because the Commissioner is only a Government servant and the Bill has rightly made him the member-secretary of the Board. Sir, the amendment that has been accepted by the Government related to limitation under the Limitation Act. If anybody is in adverse possession of property claiming himself to be the owner of the property for more than 12 years he becomes owner of that property. The right of the real owner is extinguished and a new right is created. Sir, the Wakf Act was passed in 1950 and most of the States have still not identified the wakf property. In some States like Gujarat the

Act was never applied. Therefore, it is, a welcome decision on the part of the Government that the period of limitation for recovery of Wakf properties has been extended to be 30 years. Sir, I would have welcomed it more if it was similar to the one in the State of West Bengal, Sir, section 72(2) of the Bengal Act which provides that a suit for the recovery of any property wrongfully possessed alienated or leased shall not deem to have become barred by limitation if such suit was not so barred before the 15th day of August, 1947.

Sir, I am grateful to the Government to have accepted the amendment with regard to special provision as to evacuee wakf properties and I am sure this will go a long way in solving the problems of the wakf properties which are in the possession of the custodians. Sir, there was a persistant demand all these years that a new wakf Act which will reflect the aspirations of the Muslim community and which will lead to development and improvement of the wakf property has at last been fulfilled by the present amended wakf bill, 1984. Sir, the protection of the wakf properties and better untilisation of them for the welfare and progress of the community and democratisation of the wakf administration will be most welcome by the Muslim population of this country.

Sir, with these observations, I welcome and support the amendments to the Wakf Bill, 1984.

5 P.M.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को इस बात के लिए जरूर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस विधेयक को लाकर जो इस तरह की सामाजिक धार्मिक संपत्ति है, जिसका सद्-उपयोग जनसाधारण या उस वर्ग के लोगों को सुधारने, शिक्षित करने के काम में आए, उसके लिए जो उपयोग हो, वह सचमुच में साधुवाद की बात है । लेकिन एक सवाल जो मैं यहां पर उपस्थित करना चाहता हूं, वह है परिषद् की, वक्फ परिषद् की स्वायतता की बात । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बोर्ड को आप स्वायत, आटोनोमस टाइप का मानते हैं या एक फार्मल सिर्फ एक बोडी के रूप में स्वीकार करके उसके भीतर तरजीह लगा दें, बोर्ड नाम की चीज ऊपर से तो रहे, लेकिन काम करने में नहीं रहे । मैं इसकी धारा 21 (बी) की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो आपने कमीशनर को पावर दी है, उसको पावर होनी चाहिए, खासकर फाइनेंसियल पावर होनी चाहिये । लेकिन पावर इतनी नही होनी चाहिए कि बोर्ड और बोर्ड का चेयरमैन ही उससे शून्य के बराबर हो जाए । फिर आखिर बोर्ड, हर किसी परिषद् के चेयरमैन की सेंगसिटी है, हर किसी निदेशक मंडल के उस मंडल की सेंगसिटी है, उसको आटो–नोमस है, उसको स्वायतता है । उस स्वायतता पर अगर आपने पूरा प्रहार कर दिया या अविश्वास प्रकट कर दिया तो आपको साफ कहना पड़ेगा कि वक्फ नाम की जो संस्था है, वह बेकार है, उससे कोई काम नहीं हो रहा है । अगर आप यह नहीं कहते है, अगर कहते हैं कि जो वक्फ एक समुदाय बना हुआ है, उसकी संपत्ति की सुरक्षा करके उस समुदाय का लाभ करता है, तो उसकी स्वायतता के लिए आपको बात करनी पड़ेगी । इसलिए जो कमीशनर को पावर दिया है, जैसे कि has not been passed in accordance with the law. सुपरसीड कर जाएगा ।

Is in excess or is in abuse of powers conferred on the Board by or under this Act.

[उपसभापति महोदय पीठासीन हुए ।]

इस तरह से इसमें जो आपने पावर दी है ऐसा लगता है कि यह सुप्रीम पावर हो गई है । इतना ही नहीं, अगर

[जगदम्बी प्रसाद यादव]

इस एक्ट में भी जाएं, तो फिर सेक्शन 36(सी) देखें —

"36c. Notwithstanding anything contained in a wakf deed, no immovable property shall be purchased for or on behalf of any wakf from the funds of any wakf except with the prior sanction of the Wakf Commissioner..."

अब बोर्ड में भी अपने सेक्रेटरी से, अपने कर्मचारी से परमीशन लेना पड़े। तो मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट इज दा मीनिंग आफ बोर्ड? व्हाट इज दा मीनिंग आफ वक्फ? कोई वक्फ का अर्थ नहीं रहता। इसलिए यह आज साफ होना चाहिए। एक कुशल कानून मर्मा से, जो इसके अधिक ज्ञाता हैं कि आखिर इस समाज में इसका क्या अभिप्राय है। उसी तरह से सेक्शन 47 में भी आप देखें--

"47A. (1) Notwithstanding anything contained in a deed of wakf, no mutawalli, Executive Officer or other person in charge of the administration of a wakf shall lend any money belonging to the wakf or any wakf property or borrow any money for the purposes of the wakf except with the previous sanction of the Wakf Commissioner.'

इसके मायने कि इसको वक्फ बोर्ड न कहकर वक्फ कमीशनर एक्ट कहा जाए, वक्फ कमीशनर की पावर का एक्ट कहा जाए। इसका तो अर्थ यही निकलता है और कुछ नहीं निकलता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हू कि आप इसका ऐसा कुछ क्लेरीफिकेशन अपने कानूनविद् की बुद्धिमता से दे ताकि यह अर्थ नहीं निकले।

दूसरी बात जो मैं अपने माननीय सदस्यों के समर्थन मे कहना चाहता हूं कि वक्फ की प्रोपर्टी जो रेण्टेड बना हुआ है, वह जिस जमाने से बना हुआ है, अगर उसका 200 रुपए किराया है, तो 2 रुपये ही चल रहा है। आखिर वह मकान लगाया गया था इसलिए कि उस प्रोपर्टी से वक्फ की आमदनी होगी और उससे उसकी भलाई होगी। खैर आप एग्जेम्पट न करें आप रिवाईज करने की व्यवस्था करें। क्योंकि जब आप इसकी व्यवस्था टालते है, तो उसकी व्यवस्था टालने की जिम्मेदारी भी आपकी आती है .... (समय की घंटी)

तीसरी बात एंक्रोचमेंट की आती है। एंक्रोचमेंट गवर्नमेंट द्वारा भी और पब्लिक द्वारा भी होता है। तो एंक्रोचमेंट में भी किस तरह से सुधार हो यह मांग हमारे हाऊस के सभी सदस्यों की है। इस पर भी विचार होना चाहिए।

मैं पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हुए वक्फ कमीशनर की परिभाषा सुधारने के लिए आपसे आग्रह करूंगा।

श्री मीर्जा इर्शादबेग ऐयुबबेग (गुजरात): जनाब डिप्टी चेयरमैन, मैं इस बहस के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के करोड़ों मुसलमान की बाबत जब यह चीज यहां डिस्कस हो रही है मैं अपने अपोजीशन के मेम्बरान की तरफ देखता हूं, बाहर तो ये बड़े जोर-शोर से मुसलमानों के मसलों के बारे में तकरीर करते है, लेकिन आप यहां सिर्फ पांच फर्द मौजूद है जिन में एक मुसलमान है। साफ है कि उनको मुसलमानों के प्राबलम्स में कितनी दिलचस्पी है।

पिछले चौदह सालों से मुल्क के मुसलमान औकाफ प्रापर्टी के बारे में सोच रहे थे और बातें कर रहे थे। सैयद अहमद साहब की सदारत में 1970 में वक्फ इन्क्वायरी कमेटी बनी। 197

में उसने अपनी रिपोर्ट दी और उसके बाद सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल, माइनारिटी कमीशन और दीगर अफराद ने उस पर निगाहे सानी किया। मेरे एतमाद से ज्यादातर रिकमेंडेशन्स को मान लिया गया है। इस एवाने-बाला के मेम्बरान ने इस बिल की असल सूरत के कुछ पहलुओं पर अपनी नापसन्दीदा निगाह करने पर नजरेसानी कर के जो तरमीम अब लायी गयी है इस से ज्यादातर शको-शुबह की बुनियादों को दूर करके मुतमईन हो सकते हैं।

कोई भी कानून हर वक्त हर एक फर्द को मुतमईन नहीं कर सकता है। हर एक ख्यालात समझदारी की नौवईयत और मुशायरे का रुझान वक्त के पहलू में मुख्तलिफ हो सकते है। मगर हुकूमत को चाहिए कि कारेअमल अक्सरियत की इत्मीनान की बाइस हो और नफी का माद्दा अकलियत हो। वजीरेआला से मैं दरयाफ्त करूंगा कि आपके तरमीमशुदा बिल से हर मुसलमान को शायद आप खुश न कर सकेंगे। चूंकि मुसलमानों की लाइला-लिल्लाह तक कोई भी इक्तिलाफ राय नहीं है। मगर मोहम्मद रसूल-इल्लाह की बताई हुई शरीयत में उलमाओं ने अपने अपने ढंग से तरजुमानी की है और इसी वजह से दीन से वाबस्ता हर मसले पर अकीदे की बिना पर भी इक्तिलाफ राय हो सकती है और औकाफ भी दीन-शरीयत का एक हिस्सा है। बहरहाल मुसलमानों की सामाजी, इक्तिसादी और इल्मी जिंदगी को और आरास्ता करने की सिम्त में औकाफ की सही इन्तजामी और दयानतदारी मुसलमानों के वसी हक में साबित होगी।

आला हजरत, मैं मुबारकबादी दूंगा कि बर्नी कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने 123 प्रापर्टी वक्फ बोर्ड को वापस दिलवाई हैं, मगर मौजूदा हालात और भी कई...

श्री सैयद अहमद हाशमी : आपको इत्तिला सही नहीं है। अभी ओनरशिप वक्फ बोर्ड की नहीं है (**व्यवधान**) जो वक्फ बोर्ड की प्रापर्टी है वह उसे मिलनी चाहिए।

श्री मीर्जा इर्शादबेग ऐयुबबेग : जो पैसा आयेगा उस मे वह वक्फ को मिलेगा। (**व्यवधान**) मैं कह रहा था कि और भी कई औकाफ की जागीरें गैरकानूनी तौर पर गलत लोगों के अख्तियार में हैं जिसे सरकार को वापिस लेकर मुतवल्लियों के सिपुर्द करवाना है। तरमीमी कानून के मुताबिक जिन जायदादों पर गलत लोगों का कब्जा है उन से जायदाद वापस लेने पर झगड़ा-फसाद और नाअमनी का भी भी अंदेशा बेजा नहीं है। इस लिहाज से कानून का प्रावीजन वक्फ बोर्ड के नातक में न जाये यह देखना निहायत जरूरी बन जायेगा क्योंकि कोर्ट के फैसलों के बाद भी कब्जा लेना दुश्वार हो जाता है।

मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे या शमशान, कब्रिस्तान वगैरह को लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के मातहत है उस में रिहाई देना जरूरी है। और मैं इस बात की इल्मियत पर कि रेंट कन्ट्रोल एक्ट स्टेट गवर्नमेंट के मातहत होने के बावजूद सेन्ट्रल गवर्नमेंट कानून के जरिये या हिदायतों के जरिये औकाफ को रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट से रिहाई दिलवाये, वरना औकाफ एक्ट का तस्बुलऐन सही ढंग से कारगर न हो सकेगा। सेक्शन 21 (डी) पर मैं अपनी जात को मुतमईन नहीं कर सकता हूं। मैं मानता हूं कि कमिश्नर के अख्तियारात को चेलेंज किया जा सकता है और सरकार को यह एकाउन्टेबिल भी है, मगर फिर भी कमिश्नर के वसीह अख्तियारात नुकसानदे और नापसंदीदा हैं।

†[شری مرزا ارشاد بیگ ایوب بیگ

(گجرات) : جناب ڈپٹی چیئرمین - میں اس بحث کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں - میں یہ کہنا چاہونگا کہ ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کی بات - جب یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے میں اپنے اپوزیشن کے ممبران کی طرف دیکھتا ہوں باہر تو یہ بڑے زور شور سے مسلمانوں کے مسئلوں کے بارے میں تقریر کرتے ہیں لیکن آج یہاں صرف پانچ فرد موجود ہیں - جنمیں ایک مسلمان ہیں صاف ہے کہ انکو مسلمانوں کے پرابلمس میں کتنی دلچسپی ہے -

پچھلے ۱۴ سالوں سے ملک کے مسلمان اوقاف پراپرٹی کے بارے میں سوچ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے- سید احمد صاحب کی صدارت میں ۱۹۷۰ میں وقف انکوائری کمیٹی بنی ۱۹۷۶ میں اسنے اپنی رپورٹ دی اور اسکے بعد سینٹرل وقف کونسل مائناریٹی کمیشن اور دیگر افراد نے اس پر نگاہ ثانی کیا - میرے اعتماد سے زیادہ تر رکمنڈیشن کو مان لیا گیا ہے اس ایوان بالا کے ممبران نے اس بل کو اصل صورت کے کچھ پہلوؤں پر اپنی نا پسندیدہ نگاہ کرنے پر نظر ثانی کرکے جو ترمیم اب لائی گئی ہے اس سے زیادہ تر شک و شبہ کی بنیادوں کو دور کرکے مطمئن ہو سکتے ہیں -

کوئی بھی قانون، ہر وقت ہر ایک فرد کو مطمئن نہیں کر سکتا ہے - ہر ایک کے خیالات سمجھداری کی نوعیت اور معاشرے کا رجحان وقت کے پہلو میں مختلف ہو سکتے ہیں - مگر حکومت کو چاہئے کہ کار عمل اکثیریت کے اطمینان کے باعث ہو - اور نفی کا مادہ اقلیت ہو - وزیر اعلیٰ سے میں دریافت کرونگا کہ آپ کے ترمیم شدہ بل ۔ ہر مسلمان کو شاید آپ خوش نہ کر سکینگے کیونکہ مسلمانوں کا "لا الہ الا اللہ" کا کوئی اختلاف رائے نہیں ہے - مگر محمد رسول اللہ کی بتائی ہوئی شریعت میں علماؤں نے اپنے اپنے ڈھنگ سے ترجمانی کی ہے اور اسی وجہ سے دین سے وابستہ ہر مسئلہ پر عقیدہ کی بنا پر ہی اختلاف رائے ہو سکتی ہے - اور اوقاف بھی دین شریعت کا ایک حصہ ہے - بہرحال مسلمانوں کی سماجی - اقتصادی اور عملی زندگی کو اور آراستہ کرنے کی سمت میں اوقاف کی صحیح انتظامی اور دیانتداری مسلمانوں کے وسیع حق میں ثابت ہوگی -

†[ ] Transliteration in Arabic script.

مندر - مسجد - گرجا گھر - گورو دوارہ - یا شمشان - قبرستان وغیرہ کو لینڈ اکوزیشن ایکٹ کے ماتحت ہیں اس میں رائلٹی دینا ضروری ہے اور میں اس بات کی علمیت پر کہ رینٹ کنٹرول ایکٹ اسٹیٹ گورنمنٹ کے ماتحت ہونے کے باوجود سینٹرل گورنمنٹ قانون کے ذریعہ یا ہدایتوں کے ذریعہ اوقاف کو رینٹ کنٹرول ایکٹ سے رائلٹی دلوائیے ورنہ اوقاف ایکٹ کا نصب العین صحیح ڈھنگ سے کارگر نہ ہو سکیگا - سیکشن ۲۱ (بی) پر میں اپنی ذات کو مطمئن نہیں کر سکتا ہوں - میں مانتا ہوں کہ کمشنر کے اختیارات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور سرکار کو یہ اکاؤنٹیبل بھی ہے مگر پھر بھی کمشنر کے وسیع اختیارات نقصان دہ اور نا پسندیدہ ہیں -

جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب - ویسے تو عزیز وزیر کوشل صاحب کو انکے پرخلوص ذہنی نظریہ پر مبارکباد دیتا ہوں - مگر سرکار سے میں یہ بھی کہنا چاہونگا کہ سرکار ملک کے اوقاف کا سروے کروائے اور جو قبرستان تا قیامت صرف قبرستان ہی رہ سکتا ہے اور جو سرکاری ملکیت میں درج ہے انہیں بستی کی مسلمان آبادی کی انتظامیہ کو سونپ کر انکے سدھار کئے جائیں - آرکیولوجی ڈیپارٹمینٹ کے تحت

اعلی حضرت میں مبارکباد دونگا کہ برنی کمیٹی کی رپورٹ پر سرکار نے ۱۲۳ پروپرٹی وقف بورڈ کو واپس دلوائی ہیں - مگر موجودہ حالات میں اور بھی کئی ......

شری سید احمد ہاشمی : آپکی اطلاع صحیح نہیں ہے - ابھی اونر شپ وقف بورڈ کی نہیں ہے .... (مداخلت) ..... جو وقف بورڈ کی پراپرٹی ہے وہ اسے ملنی چاہئے -

شری مرزا ارشاد بیگ ایوب بیگ : جو پیسہ آئیگا - اس سے وہ وقف کو ملیگا ....(مداخلت).... میں کہرھا تھا کہ اور بھی کئی اوقاف کی جاگیریں غیر قانونی طور پر غلط لوگوں کے اختیار میں ہیں - جسے سرکار کو واپس لیکر متولیوں کے سپرد کروانا ہے - ترمیمی قانون کے مطابق جن جائدادوں پر غلط لوگوں کا قبضہ ہے ان سے جائداد واپس لینے پر جھگڑہ فساد اور تا امنی کا اندیشہ بیجا نہیں ہے - اس لحاظ سے قانون کا پروویژن وقف بورڈ کے نا حق میں نہ جائے - یہ دیکھنا نہایت ضروری بن جائے گا - کیونکہ کورٹ کے فیصلوں کے بعد بھی قبضہ لینا دشوار ہو جاتا ہے -

[شری مرزا ارشاد بیگ ایوب بیگ] هندوستان کی بےنمو نقاشی کے نمونے جو عالم میں مشہور ہیں ایسی مساجد مقبرے وغیرہ کو نمازوں کیلئے اجازت دینی چاہئے اور ایسی عمارتوں کا صحیح میلنٹیننس اوقاف بورڈ سے ہونا چاہئے - بورڈ نے نمائندگی کے مسئلہ پر کافی غور و فکر کرکے دیانتدار شریف اور نوجوان لوگوں کو شامل کریں جنمیں صحیح ڈھنگ سے کام کرنے کا مادہ ہو - خدمت ہو اور جسے خوف خدا بھی ہو -

اقلیتوں سے وابستہ ایک اہم مسئلہ پر غور کرکے اسے کسی حد تک عملی جامہ پہنانے کی سمت میں لیا گیا یہ قدم وزیر اعظم اندرا گاندھی اور کانگریس پارٹی کے اقلیتی فرقہ کی بہبودی اور ہمدردی کی ایک مثال ہے -

انہیں الفاظ کے ساتھ اس ترمیمی بل کی تائید کرتے ہوئے ڈپٹی چیئرمین صاحب - آپکا شکریہ ادا کرتا ہوں -]

श्री शमीम अहमद सिद्दीकी (दिल्ली): जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं सबसे पहले तो वजीरे आजम श्रीमती इंदिरा गांधी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ मुसलिम अवाम की जो पुरानी मांग थी कि वक्फ बोर्ड के अन्दर तरमीम की जाए, उन्होंने जो हाउस में अमेंडमेंट को लाकर हजारों अकलियतों के उन नुमाइंदों की बात को माना और जो यहां पर तरमीम का बिल आया, मैं उसका स्वागत करता हूं।

जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, वक्फ ऐक्ट में जो तरमीम लोक सभा में पेश की गई और लोक सभा से यह बिल पास होकर दोबारा यहां आया है, मैं समझता हूं कि ये जो तरमीम हैं वे औकाफ की जायदादों को सुधारने की एक तजवीज है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं और इस मौके का फायदा उठाकर मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वह इस तरफ खास तौर पर तवज्जह दें कि बहुत सी ऐसी जायदादें हैं जिनको वक्फ कमीशन बनाती है, जो उनको फीस की सूरत में रकम मिलती है वह बोर्ड को नहीं मिलतीं। मिसाल के तौर पर दिल्ली हमदर्द दवाखाने का मैं नाम लेता हूं जिन्होंने वक्फ के कानून के बनने के बाद आज तक दिल्ली को एक पैसा नहीं दिया। अगर उसकी फीसों को शामिल किया जाए तो वह लाखों रुपये की बनती है अगर उस रकम को वसूल किया जाए तो जो प्रापर्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड में है उसके डेवलपमेंट का काम किया जा सकता है और बहुत सी स्कीमें जो दिल्ली वक्फ में नहीं हो पा रहीं हैं उनको पूरा किया जा सकता है। जो मरकजी वक्फ काउंसिल है या दिल्ली वक्फ बोर्ड है या हिन्दुस्तान के किसी बोर्ड का सवाल हो वहां ऐसे अफसरान नामजद न किए जायें जो आमदनी वजाहत हों। ऐसे बहुत से लोग मरकजी काउंसिल के अन्दर मौजूद हैं जो वक्फ की आमदनी जो वक्फ बोर्डों के अन्दर जमा करानी चाहिए, नहीं कराते। ऐसे अफसरान वक्फ की देखभाल नहीं कर सकते।

दूसरी बात यह है कि यहां पर मुअज्जिज मेम्बरान ने कहा है कि वक्फ प्रापर्टी की रैंट कंट्रोल ऐक्ट का करार दिया जाए । मैं उसकी पुरजो ताईद करता हूं और मैं समझता हूं कि यह ऐक्ट तरमीम करके वक्फ बोर्ड को खत्म करके उसमें लाया जाए तो काफी फायदा वक्फ बोर्डों को करा सकते हैं ।

आखिर में, मैं एक बार फिर वजीरे आजम श्रीमती इंदिरा गांधी को मुबारकबाद देता हूं कि जो वायदा उन्होंने अवाम को दिया था उसे कानून की शक्ल देकर हजारों उन लोगों को उन्होंने वायदा पूरा किया है जिसके लिए उन्होंने यहां पर कहा था ।

SHRI HUSEN DALWAI (Maharashtra): Sir, I compliment the Minister of law for bringing this Bill before this august House. We had enough discussion last time and my name was also there for this discussion but it was cut of because you were in a hurry. This time, I hope you would allow me some time.

Sir, the most important feature of this Bill is that properties worth crores of rupees are vested in the Custodian of Evacuee Property for administration under the Evacuee Property Act. Under this Act, the provision is that once the property is vested in the custodian, no court of law or any provisions of any other law will be in a position to divest the property from the custodian. Under the provisions of this Bill, all those properties which are vested in the Custodian will be brought within the purview of this Act and the Wakf Board which is to be formed, will control all the Wakf properties. The whole idea behind this legislation is to have better administration and supervision on the Wakf properties. We have seen that huge Wakf properties are being managed by some trusts and the state Wakf Boards; there are many cases of embezzlement and misappropriation and therefore, with a view to eradicate this problem, and to meet the long felt need this Bill has been brought by our Law Minister.

The other important feature of the Bill which I would like to comment upon and for which I would congratulate the Law Minister is that many wakf properties are in adverse possession of third parties by virtue of Law of adverse possession. By giving limitation period of 30 years the Law Minister has given us an opportunity to bring back all these Wakf properties under the control of Wakf Board which were wrongly taken over by persons who are in adverse possession of the same. All the suggestions which were made by the Wakf Inquiry Committee were not accepted by the Government. And in respect of certain suggestions there is justification for the same. Many members were saying that the Land Acquisition Act should not be made applicable to Wakf properties and that the Wakf properties should be exempted from the purview of Land Acquisition Act. I am told that our Prime Minister has issued instructions to all States that properties of all religious trusts, whether mosque, church or temple, at the time of acquisition, should as far as possible be excluded from acquisition. That is a broader view which has been taken by the Government of India and thus wakf properties will get the benefit of the same from acquisition.

The other important suggestion made by the Inquiry Committe was to bring all the properties under the control of the Wakf Board and the Central Wakf Board appointed by the Government should be abolished: but that has not been accepted by the Government. There is a reason behind it because if this Central Wakf Board is there, and as it is an autonomous body, we have seen in some States that there is a lot of embezzlement and property is not properly managed. So,

[Shri Husen Dalwai]

Government control has to be there and hence I feel we should accept that suggestion with a view to have better supervision of wakf properties under Government Control. The whole purpose behind this legislation is that charities of Muslims should be better utilised for the upliftment of Muslims who are backward and who need support for education and social reforms.

With these wor.s, I support the Bill.

श्री गुलाम रसूल कार (नाम-निर्देशित) : डिप्टी चेयरमैन साहब, वक्फ बिल जो पहले भी राज्य सभा में जेरे बहस आया था, जल्दी में उस वक्त राज्य सभा के मेम्बरों की ख्वाहिशात के मुताबिक इसमें तरमीम नहीं हो सकी और जिस सूरत में भी यह बिल ला-मिनिस्टर साहब ने पेश किया था उसमें लोक सभा में कुछ तरमीम दी गई और उन तरमीमों को जिस हद तक गवर्नमेंट ने मुनासिब समझा हालत के मुताबिक कानून के मुताबिक और वक्त के मुताबिक उन्होंने तरमीम को एक्सेप्ट किया। लोक सभा के पास करने के बाद आज राज्य सभा में जेरे बहस आ गया। हमें उस कमेटी का भी शुक्रियाअदा करना चाहिये जो 1970 में वजूद में आई थी और जिन्होंने काफी मेहनत के बाद एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी और गवर्नमेंट ने तफसीली तौर पर उस कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लिया, कहने को तो हो सकता है कि कमेटी की रिपोर्ट को क्यों नही एक्सप्ट किया गया, लेकिन आज ही का मसला ले लिया जाए, हाशमी साहब ने बहुत सारी बातों पर एतराज किया। हाशमी साहब इस हाउस के मेम्बर हैं। एक एक्ट में तरमीम लाने के तौर-तरीके होते हैं, रूल होते है। अगर उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक किसी चीज की कमी रह गई एक्ट में तो वह एक तरमीम की सूरत में ला सकते थे बजाय तकरीर करने के। इस पर तकरीर करना मुनासिब नहीं था। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस बात के लिये मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने गुजिशता इलेक्शन मैनीफेस्टो में इस बात का इकरार किया था कि इलेक्शन के बाद हम मुल्क के सामने एक बहुत बड़े माइनोरिटी के मसले को, एक कानून की शक्ल में हाउस में लाकर पेश करेंगे इस बिल के लिए मैं कांग्रेस पार्टी को और उसके लीडर श्रीमती इन्दिरा गांधी और ला मिनिस्टर को मुबारकबाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुल्क की एक बहुत बडी माइनोरिटी का मसला आज हल कर दिया है। यह महज मसला हल करने की बात नहीं है, मुसलमानों का हर तबका, मुसलमानों में मुखलिफ तबके हैं, मुखतलिफ इककादात के लोग है, हर तबके के ख्यालात को नजर में रखकर सब को खुश करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इस हाउस में और लोक सभा में सभी मुसलमान मेम्बरों को एतराम में लेकर यह बिल रखा गया है। यह एक तारीखी काम है। इसमें खूबियां भी हो सकती हैं और खामियां भी हो सकती हैं। लेकिन आन दी होल इस एक्ट को देखा जाय तो यह मालूम पड़ेगा कि यह एक बहुत बड़ा कारनामा है। जो लोग यहां पर माइनोरिटीज की बार-बार चर्चा करते हैं, जाहिर है कि उनको मुसलमानों के जज्बात का एतराम करना चाहिए। उनको चाहिए था कि इस एक्ट के पास होते वक्त इस हाउस में हाजिर रहते और इस एक्ट की हिमायत करते। मैं तमाम अपोजीशन के मेम्बरों का मशकूर हूं जिन्होंने खुद यहां रहकर इसकी ताईद की है। लेकिन उन मेम्बरों को कहना चाहता हूं कि जिनका मुसलमानों के जज्बात के साथ कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वे मुसलमानों के

जज्बात को उभारने की कोशिश करते हैं और सियासी तौर पर मामलों को यहां पर पेश करते हैं, वे इस वक्त खुद यहां पर हाजिर नही रहे वे मुसलमानों के हमदर्द नहीं हैं । माइनोरिटीज के हमदर्द तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और मुल्क की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं । इसलिए मैं इस बिल की पुरजोर हिमायत करता हूं । मै यह भी कहना चाहता हूं कि यह बिल मुसलमानों के जज्बात को जेरेनजर रखकर पेश किया गया है । मैं समझता हूं कि यह एक तारीखी काम हुआ है । मुसलमानों की लाखों करोड़ों रुपयों की जायदाद का सिलसिला कांग्रेस पार्टी ने उठाया है । बोर्ड में एक कमिश्नर होगा । अगर बोर्ड को मुसलमान सही तौर पर नहीं चला सके तो इसका कसूर हमारा होगा, हुकूमत का नहीं होगा । कमिश्नर कौन होता है ? कमिश्नर एक आई० ए० एस० अफसर होगा । गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि वह मुसलमान हो । इससे मैं समझता हूं कि बोर्ड का काम अच्छी तरह से चलेगा । बोर्ड को चलाने की जिम्मेवारी मुसलमानों की होगी । मुसलमानों को अपनी जिम्मेवारी को कबूल करना चाहिए । मैं इस बिल की फिर पुरजोर ताईद करता हूं और ला मिनिस्टर, कांग्रेस पार्टी और अपने लीडर श्रीमती इन्दिरा गांधी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं ।

†[شری غلام رسول کار (نامزد) :

ڈپٹی چیئرمین صاحب - وقف بل جو پہلے بھی راجیہ سبھا میں زیر بحث آیا تھا جلدی میں اسوقت راجیہ سبھا کے ممبروں کی خواہشات کے مطابق اسمیں ترمیم نہیں ہو سکی اور جس صورت میں بھی یہ بل لا منسٹر صاحب نے پیش کیا تھا اسمیں لوک سبھا میں کچھ ترمیم دی گئی - اور ان ترمیموں کو جس حد تک گورنمنٹ نے مناسب سمجھا حالات کے مطابق قانون کے مطابق اور وقت کے مطابق انہوں نے ترمیم کو ایکسیپٹ کیا - لوک سبھا کے پاس کرنے کے بعد آج راجیہ سبھا میں زیر بحث آ گیا - ہمیں اس کمیٹی کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہئے جو ۱۹۷۰ میں وجود میں آئی تھی اور انہوں نے کافی محنت کے بعد ایک رپورٹ گورنمنٹ کو دی - اور گورنمنٹ نے تفصیلی طور پر اس کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لیا - کہنے کو تو ہو سکتا ہے کہ کمیٹی کی رپورٹ کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا گیا - لیکن آج ہی کا معاملہ لے لیا جائے - ہاشمی صاحب نے بہت ساری باتوں پر اعتراض کیا - ہاشمی صاحب ہاؤس کے ممبر ہیں- ایکٹ میں ترمیم لانے کے طور طریقہ ہوتے ہیں- رول ہوتے ہیں - اگر انکی خواہشات کے مطابق کسی چیز کی کمی رہ گئی ایکٹ میں تو یہ ایک ترمیم کی صورت میں لا سکتے تھے - بجائے تقریر کرنے کے - اس پر تقریر کرنا مناسب نہیں تھا - میں آج کانگریس پارٹی کو اس بات کیلئے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے گزشتہ الیکشن مینی فیسٹو میں اس بات کا اقرار کیا تھا کہ الیکشن کے بعد ہم ملک کے سامنے ایک

†[ ] Transliteration in Arabic script.

[شری غلام رسول کار]

بہت بڑے مائنارٹی کے مسئلہ کو ایک قانون کی شکل میں ہاؤس میں لاکر پیش کرینگے - ایک قانون ہاؤس میں لاکر پیش کرینگے - اس بل کیلئے میں کانگریس پارٹی کو اور اسکی لیڈر شریمتی اندرا گاندھی اور لا منسٹر کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں - انہوں نے ملک کو ایک بہت بڑی مائنارٹی کا مسئلہ آج حل کردیا ہے - یہ محض مسئلہ حل کرنے کی بات نہیں ہے - مسلمانوں کا ہر طبقہ - مسلمانوں میں مختلف طبقے ہیں - مختلف خیالات کے لوگ ہیں - ہر طبقے کے خیالات کو نظر میں رکھکر سب کو خوش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے - لیکن اس ہاؤس میں اور لوک سبھا میں سبھی مسلمان ممبروں کو احترام میں رکھکر یہ بل رکھا گیا - یہ ایک تاریخی کام ہے اس میں خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں اور خامیاں بھی ہو سکتی ہیں - لیکن آن دی ہال اس ایکٹ کو دیکھا جائے تو یہ معلوم پڑے گا کہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے - جو لوگ یہاں پر مائنارٹیز کی بار بار چرچہ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کو مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرنا چاہئے - ان کو چاہئے تھا کہ اس ایکٹ کے پاس ہوتے وقت اس ہاؤس میں حاضر رہتے اور اس ایکٹ کی حمایت کرتے - میں تمام اپوزیشن کے ممبروں کا مشکور ہوں جنہوں نے خود یہاں رہ کر اس کی تائید کی ہے - لیکن ان ممبروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جن کا مسلمانوں کے جذباتوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے - لیکن وہ مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیاسی طور پر معاملوں کو یہاں پر پیش کرتے ہیں وہ اس وقت خود یہاں پر حاضر نہیں رہے - وہ مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہیں - مائنارٹیز کے ہمدرد تو صرف کانگریس پارٹی ہے اور ملک کی نیتا شریمتی اندرا گاندھی ہے - اس لئے میں اس بل کی پرزور حمایت کرتا ہوں - میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بل مسلمانوں کے جذبات کو زیر نظر رکھ کر پیش کیا گیا ہے - میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی کام ہوا ہے - مسلمانوں کی لاکھوں کروڑوں روپیوں کی جائداد کا سلسلہ کانگریس پارٹی نے اٹھایا ہے - بورڈ میں ایک کمشنر ہوگا - اگر بورڈ کو مسلمان صحیح طور پر نہیں چلا سکے تو اس کا قصور ہمارا ہوگا حکومت کا نہیں ہوگا - کمشنر کون ہوتا ہے - کمشنر ایک آئی - اے - ایس - آفیسر ہوگا گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ و مسلمان ہو - اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بورڈ کا کام اچھی طرح سے چلے گا - بورڈ کو چلانے کی ذمہ داری

مسلمانوں کی ہوگی - مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہئیے -

میں اس بل کی پھر پرزور تائید کرتا ہوں اور لا منسٹر - کانگریس پارٹی اور اپنی لیڈر شریمتی وزیراعظم اندرا گاندھی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں -]

श्री सैयद अहमद हाशमी : जनाब, मैं एक पाइन्ट अर्ज करना चाहता हूं । मैं गुजारिश यह करना चाहता हूं कि वक्फ इन्क्वायरी कमेटी का नाम लिया गया है । मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता हूं, लेकिन यह अर्ज करना चाहता हूं कि वक्फ इन्क्वायरी कमेटी का नाम बार-बार लिया गया है । लैण्ड एक्वीजीशन के बारे में बहुत सारी बातें आई हैं। वक्फ इन्क्वायरी कमेटी के रेफरेन्स में मैं यह कहूंगा कि सेक्शन 58 में कमेटी की रिकमेन्डेशन का सिलसिला लेण्ड एक्वीजीशन के बारे में मैंने भी कहा था । मैं समझता हूं कि यह एक बहुत अहम बात होगी । दूसरी बात जिसको इगनोर किया जा रहा है वह यह है कि उसी मसजिद में नमाज का सिलसिला भी आता है । दिल्ली और दूसरी जगहों मे क्या हालत है, उसको भी सामने रखा जाना चाहिए ।

†[شری سید احمد ہاشمی : جناب ، میں ایک پوائنٹ عرض کرنا چاہتا ہوں - میں گذارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وقف انکوائری کمیٹی کا نام لیا گیا ہے - میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا ہوں ، لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وقف انکوائری کمیٹی کا نام بار بار لیا گیا ہے - لینڈ ایکوزیشن کے بارے میں بہت ساری باتیں آئی ہیں - وقف انکوائری ریفرنس میں میں یہ کہوں گا کہ سیکشن ۵۸ میں کمیٹی کی رکمنڈیشن کا سلسلہ لینڈ ایکوزیشن کے بارے میں میں نے بھی کہا تھا - میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم بات ہوگی- دوسری بات جس کو اگنور کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسی مسجد میں نماز کا سلسلہ بھی آتا ہے - دہلی اور دوسری جگہوں میں کیا حالت ہے اس کو بھی سامنے رکھا جانا چاہئیے -]

श्री जगन्नाथ कौशल : जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, आज अभी अभी एक मेम्बर ने कहा कि आज एक तारीखी दिन है । कितने बिल हैं जो लोक सभा में पास होने के बाद दुबारा आज तक यहां पर आए हैं ? सारी हिस्ट्री में बहुत कम तादाद होगी वरना आम कायदा यह है कि आपने बिल पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया, कानून बन गया । लेकिन इस केस में बिल पास करने के बावजूद कुछ अमेंडमेंट लोक सभा में पास हुई और इसके बाद यह बिल आप तक उन अमेंडमेंटस के सिलसिले मे आया है । अब वे अमेंडमेंट कैसे पास हुए, क्यों पास हुए उस पर मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता । लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हाशमी साहब ने एक शेर पढ़ा और उनकी खलिश है यह तीर जो है वह जिगर के पार क्यों नही हुआ । यह तीर जिगर के पार हो चुका होता अगर मैं न कहता, कि मैं इस पर अमेंडमेंट अक्सेप्ट करने के लिये तैयार हूं । वरना (**व्यवधान**)...मैं आमतौर पर ऐसी बात कहना अच्छा नहीं समझता लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हाशमी साहब को सब मालूम है । उनकी बहुत दिलचस्पी है वक्फ और

†[ ] Transliteration in Arabic script.

[श्री जगन्नाथ कौशल]

उसकी जायदादों में कि उनका अच्छा इंतजाम हो, सब चीजें अच्छी हों। लेकिन मुझे बेहद अफसोस है कि जिस दिन राज्य सभा में यह बिल आया उस दिन उन्हें एन० टी० रामाराव से ज्यादा प्यार रहा, उस दिन उन्हें वक्फ से प्यार नहीं रहा।..(**व्यवधान**)...

श्री सैयद अहमद हाशमी : जम्मू-काश्मीर से प्यार हुआ था। लेकिन मैं भी अर्ज करूं। मुझे माफ फरमायेंगे। जान बूझकर वह बिल जो था उस दिन लिया जिस दिन वह यह समझते थे कि वाक-आऊट करेंगे, इसलिये ...(**व्यवधान**) ...

†[شری سید احمد ہاشمی : جموں کشمیر سے پیار ہوا تھا - لیکن میں بھی عرض کروں مجھے معاف فرمائیے گا جان بوجھ کر وہ بل جو تھا اس دن لیا جس دن وہ یہ سمجھتے تھے کہ واک آؤٹ کریں گے اس لئے.... (مداخلت)....]

श्री उपसभापति : वह बात अपनी जगह पर है। यह इसका जवाब नहीं है।...(**व्यवधान**)...

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की शुरु से यह मंशा रही कि जो 1954 में वक्फ ऐक्ट पास हुआ था, उस वक्फ ऐक्ट को इम्प्रूव कैसे करें। आपको एक बात याद होनी चाहिए कि वक्फ ऐक्ट 1954 में पास होने के बाद सारे मुल्क मे वक्फ की जायदाद का इंतजाम वक्फ बोर्ड को दे दिया था। लेकिन आप लोग इससे मुतमईन नहीं थे, कोई मुतमईन नहीं था। इंतजाम ठीक से नहीं हो रहा था और इंतजाम ठीक कौन नहीं कर रहे थे वक्फ बोर्ड के मैम्बरान ठीक नहीं कर रहे थे। सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात पंजाब में हुई। पंजाब में जब वक्फ बोर्ड ने इंतजाम संभाला तो लाखों रुपया उनके पास था। उन्होंने बदइंतजामी की और उसके बाद ओवर ड्राफ्ट 20 लाख रुपये का छोड़ा और सरकार को, सेन्ट्रल गवर्नमेंट को उस वक्फ बोर्ड को बरखवास्त करना पड़ा और बरखवास्त करने के बाद कोशिश की गई कि हम कोई न कोई ...

श्री सैयद अहमद हाशमी : मैं अर्ज करूंगा कि अगर पंजाब वक्फ बोर्ड की कहानी आप सुनायेंगे तो और भी बहुत सारी पोल खुल जायेगी।

†[شری سید احمد ہاشمی : میں عرض کروں گا کہ اگر پنجاب وقف بورڈ کی کہانی آپ سنائینگے تو اور بھی بہت ساری پول کھل جائینگی -]

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि मुझे भी सुन लीजिये। अगर आप मुझे इन्टरप्ट न करें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा।

उसके बाद जो इन्कवायरी कमेटी आपकी बैठी, उस इन्कवायरी कमेटी ने सबसे बड़ी सिफारिश की। उन्होंने कहा कि हमारा तजुर्बा यह कहता है कि जब तक उसका इंतजाम सरकार के एक बड़े अफसर, कमिश्नर को नहीं देंगे तब इसका इंतजाम ठीक नहीं होगा। यह उनकी सबसे बड़ी सिफारिश थी।

श्री सैयद अहमद हाशमी : मैं फिर इन्टरप्ट करने पर मजबूर हुआ हूं। लेकिन पावर के सिलसिले में वह. (**व्यवधान**)...

†[ ] Transliteration in Arabic script.

†[شری سید احمد ہاشمی : میں بہر انٹرویٹ کرنے پر مجبور ہوا ہوں - لیکن پاور کے سلسلے میں وہ ..... (مداخلت) .....]

श्री उपसभापति : हाशमी साहब, आप हर वक्त खड़े न हों। आपने कह दिया। उनकी बात भी सुन लीजिये।

श्री जगन्नाथ कौशल : उन्होंने सबसे बड़ी सिफारिश यह की जैसे हिन्दू एडोटमेंट में और जैसे बाकी रिलीजन के नीचे कमिश्नर लगा हुआ है, ऐसा ही कमिश्नर यहां लगाया जाय क्योंकि जायदादें खुदबुर्द हो रही थीं। उन जायदादों का दर्द हमको भी है, आपको भी है और कमेटी को भी था। उसके बाद बार-बार हमने कोशिश की कि इस पर कांसेसस आ जाय। लेकिन कांसेसस नहीं आया। कांसेसस न आने की वजह से जो स्कीम बनाई है उस स्कीम में बोर्ड की आटोनमी कायम है। लेकिन जो रोजमर्रा के अख्तियारात हैं वे कमिश्नर को देने आवश्यक हैं। वरना मैं हाउस के सामने कहना चाहता हूं कि वक्फ कमिश्नर को एप्वाइन्ट ही न करें, वक्फ कमिश्नर को उसका चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर मुकर्रर न करें। तो जायदादों का ठीक इन्तजाम होने वाला नहीं है। अपने सब मुस्लिम ब्रादर्ज से यह कहूंगा कि इस एक्ट के पास होने के बाद उनकी कोशिश होनी चाहिये कि वे वक्फ कमिश्नर की मदद करें ताकि वो उन हालात को सुधारें और हालात को सुधारना ही हमारी असली मंशा है इस एक्ट को बहुत जोर से क्रिटिसाइज किया गया है कि वक्फ कमिश्नर को आपने यह अख्तियारात क्यों दे दिये कि बोर्ड का फैसला इसको नहीं मानेगा। लिखा है कि अगर बोर्ड ने कानून के खिलाफ कोई फैसला किया है तो वह कमिश्नर गवर्नमेंट के नोटिस में लाएगा और गवर्नमेंट उसको एग्जामिन करेगा और गवर्नमेंट उस पर फैसला देगी लेकिन आपको तो अपनी गवर्नमेंट पर भी एतबार नहीं है। आपकी जो अपनी इलेक्टिड गवर्नमेंट है। मेरा कहना यह है कि कमिश्नर को न मानने का अख्तियार नहीं दिया गया कमिश्नर को सिर्फ इतना अख्तियार दिया गया है कि गवर्नमेंट के नोटिस में ले आए अगर गवर्नमेंट ठीक समझती है तो मान लें वरना गवर्नमेंट उसको रद्द कर दे। बाकी जो सारा मसला है वह बहस के लायक नहीं है। क्योंकि सिर्फ दो तीन अमेंडमेंटस आई है और तीनों अमेंडमेंटस को आपने सपोर्ट किया है मैं समझता हूं कि बाकी चीजों में जाने की जरूरत नहीं है लेकिन एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि यह बिल दोबारा हाउस में नहीं आता था अगर हमारी प्राइम मिनिस्टर बुला कर के मुझे दोबारा यह न कहती कि इस बिल को पास करना ही है और मैम्बरान खुद गये प्राइम मिनिस्टर के पास। उन्होंने कहा कि मैडम हम बाकी सब अमेंडमेंटस छोड़ते है, जो काम की अमेंडमेंटस हैं वे आप ला मिनिस्टर को कहा कि मान लें। तो उसके बाद हम को टाइम निकालना था उसके लिए आपको मशकूर होना चाहिये लीडर आफ दी हाउस का। आपको मशकूर होना चाहिये पार्लियामेंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर का वरना यह बिल पास होने वाला नहीं था। यह रह गया था। अब सिर्फ दो तीन बातों के मुतलिक मैं कहना चाहता हूं। जो अमेंडमेंटस आई हैं (व्यवधान) अमेंडमेंटस के मुतालिक लोगो ने यह कहा है कि (व्यवधान) धन्यवाद आपको तो हैं ... (व्यवधान) अब मैं

[श्री जगन्नाथ कौशल]

यह कहना चाहता हूं कि हमने लिमिटेशन 30 साल दिया है। कुछ मैम्बरान ने कहा है कि आपने यह क्यों नहीं कह दिया कि इस पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई ही नहीं करेगा। कहा जा सकता था लेकिन एक आर्गूमेंट जो लोक सभा में एक मैम्बर ने दिया मैं वह आर्गूमेंट आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर आप कोई लिमिटेशन नहीं रखेंगे तो वक्फ बोर्ड वाले मुकदमा दायर ही नहीं करेंगे क्योंकि तजरुबा यह कहता है कि मुकदमे तो लिमिटेशन के लास्ट दिन दायर होते हैं और जहां पर लिमिटेशन नहीं है वहां लोग सोए रहते हैं यह बिलकुल सही बात है। दूसरी मैं एक बात और कह दूं कि यह तो हमने एक जनरल ला बना दिया लेकिन एक एक्ट आलरेडी आप पास कर चुके हैं, एक्सटेंशन आफ पीरियड आफ लॉ लिमिटेशन अंडर दी पब्लिक वक्फस एक्सटेंशन आफ लिमिटेशन एक्ट, 1959 उसमें आपने स्टेटस को अख्तियार दिया था कि जिन प्रापर्टीज पर दावे नहीं हो सके उनका लिमिटेशन आफ जितना मरजी बढ़ा लें, बहुतों ने बढाए हैं। मैं दो तीन स्टेटस का नाम ले दूं जिनके लिमिटेशन अब तक चल रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश में जो इस वक्त एक्सटेंडेड पीरियड आफ लिमिटेशन है वह 31-12-86 तक है, बिहार में 31-12-85 तक है, हरियाणा में भी यही है, पंजाब में भी यही है, कर्नाटक में भी यही है। स्टेटस ने खुद भी बढ़ाए हैं। अब हमने जनरल ला भी बना दिया अगर अभी तक दावा दायर नहीं किया, लिमिटेशन खत्म नहीं हुआ। 12 साल नहीं हो कर किसी आदमी को पूरा मुकम्मल कब्जा नहीं हुआ है तो हम आपको 30 वर्ष देने के लिए तैयार हैं। यह एक वेलकम अमेंडमेंट है। मैं समझता हूं कि सब ने इसको वेलकम किया है। दो अमेंडमेंट बाकी किस लिए आई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वह इंट्रेस्टेड परसन के मुताबिक हमें यह कहा गया था कि गैर मुस्लिम की जायदाद तो लिस्ट में है वह उसका पाबन्द नहीं है लेकिन जो कमेटी ने रिपोर्ट की हमने उसको मान लिया कि अगर सर्वे कमिश्नर ने उसको नोटिस दे दिया है मौका दे दिया है तो फिर उसको भी उस लिस्ट को मानना पड़ेगा वरना एक साल के अन्दर जा कर के वह ट्रिब्यूनल में फैसला करा ले। तीसरी बात जो हमने की है क्योंकि पंजाब हाई कोर्ट के फैसले से एक अड़चन आ गई थी कि वक्फ बोर्ड दावा ही नहीं कर सकता था, उस अड़चन को हमने दूर कर दिया। अब आखिरी बात यह है कि रेंट कंट्रोल के मुताबिक लोगों ने कहा है कि उसमें छूट क्यों नहीं करते लेकिन उसमें मैं समझता हूं कि हम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हमने स्टेटों को लिखा और 9 स्टेटस ने रेंट कंट्रोल एक्ट में छूट को लागू कर दिया है। जिन्होंने नहीं किया उनको हम परसू कर रहे हैं। वी आर राइटिंग टु देम कि इनको रेंट कंट्रोल एक्ट आप लागू कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि सभी स्टेटस लागू कर देंगे। कुछ स्टेटस ने यह लिखा है कि हमारा ला, वक्फ की जायदादों के मुताबिक रेंट कंट्रोल से बढ़िया है। वह अगर बढ़िया लॉ है तो उसको खत्म करके हम ऐसा लॉ नहीं लाना चाहते हैं जिससे नुकसान हो जाये।

आखिरी में एक ही बात कहूंगा कि आज सभी ने जो जो अमेंडमेंटस लोक सभा में हुई हैं उनको तस्लीम किया है और तस्लीम ठीक किया है

क्योंकि वह कन्सेन्सस की अमेंडमेंट है। अकेले गुलशेर अहमद की अमेंडमेंटस नहीं हैं। मेरा वादा राज्य सभा में यही था कि आप लोग कन्सेन्सस कर लीजिए। हम लोग तो शुरु से ही इस फिक्र में लगे हुए हैं कि कन्सेन्सस से जो लॉ पास हो जाये तो वह ला कम्यूनिटी को एक्सेप्टेबुल होगा और मुझे अफसोस है कि कभी-कभी कोई आवाज अगर निकलती है कि यह लॉ ठीक नहीं बना तो उसके कसूरवार हम नहीं है, उसके कसूरवार आप लोग है जब आप बैठकर किसी एक बात पर मुत्तफिका राय नहीं कर सकते तो हम लोगों को ब्लेम मत करिये। हमारी मंशा एक ही है और वह यह है कि वक्फ की जायदाद खुर्द बुर्द न हो। वक्फ करने की मंशा से जिसने वक्फ किया है उसकी वह मन्शा पूरी हो और उसकी मंशा पूरी करने के लिए हमने पुरजोर कोशिश की है। उसके बावजूद कभी कोई बात आपके जहन में आ जाये तो फिर आ जाइए, गवर्नमेंट आपकी है। गवर्नमेंट आपकी मदद करने के लिए तैयार है। ला को फिर अमेंड किया जा सकता है।

The law and amendment of law is a continuous process. Whenever any deficiencies are found in the working of the law, the Government is always prepared to come forward before Parliament for bringing more amendments.

I must express my gratitude to all the Members who have today shown so much interest although on that day they were absent.

Now I commend to the House that these amendments be accepted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the following amendments made by the Lok Sabha in the Wakf (Amendment) Bill, 1984, be taken into consideration, namely:—

Clause 6

1. "That at page 4, after line 1, the following be inserted, namely:—

'(a) in sub-section (1), the following Explanation shall be inserted at the end, namely:—

Explanation.—For the purposes of this section and section 6A, the expression "any person interested therein', occurring in sub-section (1) of this section and in sub-section (1) of section 6A, shall, in relation to any property specified as wakf property in a list of wakfs published, under sub-section (2) of section 5, after the commencement of the Wakf (Amendment) Act, 1984, shall include also every person who, though not interested in the wakf concerned, is interested in such property and to whom a reasonable opportunity had been afforded to represent his case by notice served on him in that behalf during the course of the relevant inquiry under section 4.".

2. "That at page 4, line 2,—

for '(a)' substitute '(b)"

3. "That at page 4, line 4,—

for '(b)' substitute '(c)"

Clause 65

4. "That at page 49, after line 27, the following be inserted, namely:—

Period of limitation for recovery of wakf properties to be thirty years.

'66G. Notwithstanding anything contained in the Limitation Act, 1963, (36 of 1963) the period of limitation for any suit for possession of immovable property comprised in any wakf or possession of any interest in such property shall be a period of thirty years and such priod shall begin to run when the possession of the defendant becomes adverse to the plaintiff.